

15

जल संसाधन सम्बन्धी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

अनुदानों की मांगे (2022-23)

पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / चैत्र , 1944 (शक)

पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन

जल संसाधन सम्बन्धी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

अनुदानों की मांगें (2022-23)

23.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

23.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / चैत्र , 1944 (शक)

डब्लू. आर. सी. स. 70

मूल्य: रुपये

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (तेरहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और ----- द्वारा मुद्रित ।

विषय-सूची

पृष्ठ

समिति (2021-22) की संरचना
प्राक्कथन
संक्षिप्ताक्षर

(v)
(vi)
(vii)

प्रतिवेदन
भाग-एक
वर्णनात्मक विश्लेषण

एक.	जल संसाधन क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय बजट (2022-23) की मुख्य विशेषताएं	1
दो.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन	2
तीन.	अनुदानों की मांगों का विश्लेषण	3
चार.	योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	8
पांच.	जल संसाधन परिदृश्य	10
छह.	भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882	11
सात	नदियों को आपस में जोड़ना	12
आठ.	नमामि गंगे	14
नौ.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन	17
दस.	अटल भूजल योजना	18
ग्यारह.	अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण	19
बारह.	विदर्भ और मराठवाड़ा के जिलों और शेष महाराष्ट्र के अन्य लंबे समय से सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज	21
तेरह.	सिंचाई गणना	22
चौदह.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23
पंद्रह	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)	25
सोलह	केंद्रीय भूजल बोर्ड	27
सत्रह	“राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम)”	29
अठारह	वर्षा जल संचयन	29
	भाग-दो	32
	टिप्पणी/सिफारिशें	

अनुबंध

I.	समिति की 22.02.2022 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	46
II.	समिति की 15.03.2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	49

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

डॉ. संजय जायसवाल

- सभापति

लोक सभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री भागीरथ चौधरी
4. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी
5. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर
6. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
7. डॉ. के. जयकुमार
8. श्री धनुष एम. कुमार
9. श्री सुनील कुमार
10. श्री अकबर लोन
11. श्री कुरुवा गोरंतला माधव
12. श्री निहाल चन्द चौहान
13. श्री हंसमुखभाई एस. पटेल
14. श्री संजय काका पाटील
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. श्रीमती नुसरत जहां
17. कुमारी अगाथा के. संगमा
18. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
19. श्री चन्दन सिंह
20. श्री डी.के. सुरेश
21. श्री एस. सी. उदासी

राज्य सभा

22. सरदार बलविंदर सिंह भुंडर
23. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर
24. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
25. श्रीमती मौसम नूर
26. श्री अरुण सिंह
27. श्री सुभाष चंद्र सिंह
28. श्री रेवती रमन सिंह
29. श्री प्रदीप टम्टा
30. रिक्त
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री एम् के मधुसूदन - संयुक्त सचिव
2. श्री खखाड़ जाऊ - निदेशक
3. श्री आर. सी. शर्मा - अपर निदेशक
4. श्री गौरव जैन - सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

में, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंधी पंद्रहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. (1) (क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की गई है ।
3. समिति ने 22.02.2022 को जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।
4. समिति ने 15.03.2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।
5. समिति जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के प्रतिनिधियों को विषय की जांच के संबंध में अपेक्षित लिखित सामग्री प्रदान करने तथा मौखिक साक्ष्य देने के लिए धन्यवाद देती है ।
6. समिति ने उससे संबंध लोक सचिवालय के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए भी आभार व्यक्त करती है ।

नई दिल्ली;
15 मार्च, 2022
24 फाल्गुन, 1943 (शक)

डॉ. संजय जायसवाल
सभापति,
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

संक्षिप्ताक्षर

एबीवाई
एआईबीपी
अमृत
बीबीएमबी
बीई
बीओडी
सीए
सी जी एफ
सीजीडब्ल्यूबी
सीओडी
सीएसआर
सीडब्ल्यूसी
सीडब्ल्यूआरडीएम
डीडीडब्ल्यूएस
डीओ
डीओडब्ल्यूआर,
आरडीएंड जीआर
डीपीआर
डीआरआईपी
डीवीसी
डीडब्ल्यूआरआईएस
ईएपी
ईबीआर
ईसी
ईपीसी
एफआर
जीडी
जी एल ओ एफ
जीडब्ल्यूएम एंड आर
एचकेकेपी
एचओ
आईएसएस
आईआईटी
आईएलआर
जेजेएम
एलबीसी
एमएलडी
एमओडीडब्ल्यूएंडएस

अटल भूजल योजना
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
बजट प्राक्कलन
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड
केन्द्रीय सहायता
स्वच्छ गंगा निधि
केन्द्रीय भूजल बोर्ड
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड
सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व
केन्द्रीय जल आयोग
जल संसाधन विकास और प्रबंधन केन्द्र
पेयजल और स्वच्छता विभाग
घुलित ऑक्सीजन
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम
दामोदर वैली निगम
जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
आपातकालीन कार्य योजना
अतिरिक्त बजटीय संसाधनों
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
व्यय वित्त समिति
व्यवहार्यता रिपोर्ट
गौज और डिस्चार्ज
ग्लेशियर झील आउटबरस्ट बाढ
भूजल प्रबंधन और नियमन
हर खेत को पानी
जल विज्ञान संबंधी टिप्पणी
कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
नदियों को आपस में जोड़ना
जल जीवन मिशन
लेफ्ट बैंक कैनल
मिलियन लीटर पर डे
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

एमओईएफएंडसीसी
 एमओजेएस
 एमओडब्ल्यूआर,
 आरडीएंडजीआर
 एनएबीएआरडी
 एनएक्यूयूआईएम
 एनबीडब्ल्यूयूई
 एनजीपी
 एनजीआरबीए
 एनएचपी
 एनएचपीसी

 एनएलएससी
 एनएमसीजी
 एन एम एस एच ई
 एनपी
 एनआरसीडी
 एनआरसीपी
 एन आर आई
 एनडब्ल्यूडीए
 एनडब्ल्यूएम
 ओएंडएम
 पीएफआर
 पीएल
 पीआईआरसी
 पी आई ओ
 पीएमकेएसवाई
 आरबीसी
 आरबीएम
 आरई
 आरआरआर
 एसएमआई
 एसटीपीएस
 टीसी
 (टीडीएस),
 यूटीएस
 डब्ल्यूआरडी

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 जलशक्ति मंत्रालय
 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
 राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम
 राष्ट्रीय जल उपयोग क्षमता ब्यौरो
 राष्ट्रीय गंगा योजना
 राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण
 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना
 जिसे पूर्व में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के रूप में जाना जाता था।
 राष्ट्र स्तरीय संचालन समिति
 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
 सतत हिमालयी इको प्रणाली के लिए राष्ट्रीय मिशन
 राष्ट्रीय परियोजना
 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय
 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
 अप्रवासी भारतीयों
 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
 राष्ट्रीय जल मिशन
 प्रचालन और अनुरक्षण
 पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट
 मूल्य सूची
 परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा समिति
 भारतीय मूल के लोगों
 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
 राइट बैंक कैनल
 नदी बेसिन प्रबंधन
 संशोधित प्राक्कलन
 जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार
 सतही लघु सिंचाई
 मल जल उपचार संयंत्र
 टेक्निकल कमेटी
 टोटल डिसेल्व्ड सॉलिड्स
 संघ राज्य क्षेत्र
 जल संसाधन विभाग

प्रतिवेदन

भाग - एक

वर्णनात्मक विश्लेषण

1.1 जल जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। यह एक सीमित संसाधन है। हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश के जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए इसका विकास, संरक्षण और प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

1.2 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर) जल शक्ति मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर मुख्य रूप से राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीति दिशा-निर्देश और कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। यह देश में जल के विभिन्न उपयोग; जल कानूनों और विधियों, अंतर्राज्यीय और सीमा पार जल मुद्दों का समाधान करने, द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय सहयोग और देश में जल संसाधनों के आकलन, विकास और विनियमन के लिए सामान्य नीति दिशा-निर्देशों और कार्यक्रमों के संबंध में जल आयोजना और समन्वय के समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए भी उत्तरदायी है। डीओडब्ल्यूआर और आरडीएंडजीआर विभाग जल गुणवत्ता मूल्यांकन; गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कार्याकल्प और अन्य नदियों में प्रदूषण की रोकथाम और उपशमन के लिए उत्तरदायी है। विभाग को अंतर्राज्यीय नदियों के विनियमन एवं विकास अधिकरणों के पंचाटों के कार्यान्वयन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं, भूजल प्रबंधन, बाढ़ प्रूफिंग; जल भराव, समुद्री कटाव और बांध सुरक्षा के तकनीकी मार्गदर्शन, जांच, मंजूरी और मॉनिटरिंग से संबंधित मामलों से जुड़े विषय भी आबंटित किए गए हैं।

जल संसाधन क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय बजट (2022-23) की मुख्य विशेषताएं

1.3 जल संसाधन क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय बजट (2022-23) की मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया : -

“केंद्रीय बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना और अन्य नदी जोड़ परियोजनाएं शामिल हैं। बजट भाषण 2022-23 के प्रासंगिक पैरा निम्न प्रकार हैं:

क) केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को आरम्भ करने की अनुमानित लागत रु. 44,605 करोड़ रुपये होगी। इसका उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर की किसानों की भूमि को सिंचाई लाभ, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट का हाइड्रो और 27 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्रदान करना है। इस परियोजना के लिए आरई 2021-22 में ₹ 4,300 करोड़ और 2022-23 में ₹ 1,400 करोड़ का आवंटन किया गया है।

ख) दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापीनर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी नामक पांच नदी लिंकों के मसौदों को अंतिम रूप दिया गया है। एक बार लाभार्थी राज्यों के बीच आम सहमति बन जाने के बाद, केंद्र कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगा।”

ज.सं., न.वि. और गं.सं. विभाग के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल बजट आवंटन (निवल) 18967.88 करोड़ रुपये है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन

1.4 डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर की मांग संख्या 62 में अनुदान की विस्तृत मांगों को 10 फरवरी 2022 को लोकसभा के पटल पर रखा गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 18967.88 करोड़ रुपये का कुल बजटीय प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित तालिका पिछले चार वर्षों के दौरान डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर के लिए बजट आवंटन को दर्शाती है: -

ज.सं., न.वि. और गं.सं. विभाग- आवंटन और व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक व्यय
2018-19	8860.00	7612.52	7422.08
2019-20	8245.25	7518.21	7418.60
2020-21	8960.39	7262.09	7232.09
2021-22	9022.57	18008.70	6327.04*

* 31 दिसम्बर 2021 तक

1.5 निम्नलिखित तालिका पिछले चार वर्षों के दौरान वित्तीय वर्षों के अंत में वित्त मंत्रालय को डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर द्वारा वापस लौटाई गई राशि को दर्शाती है: -

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक आंकड़े	समर्पित की गई राशि*
2018-19	8860.00	7612.52	7422.08	1467.14
2019-20	8245.25	7518.21	7418.60	700.39
2020-21	8960.39	7262.09	7232.09	1695.30

* 'वापस की गई राशि' को दर्शाने वाले आंकड़े सकल रूप में हैं जबकि बीई, आरई और वास्तविक को दर्शाने वाले आंकड़े शुद्ध रूप में हैं।

1.6 विभाग ने वित्त मंत्रालय को बजटीय आवंटन वापस करने के लिए निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं: -

“ (i) कोविड-19 के संबंध में प्रतिबंध और लॉकडाउन। इस तरह के प्रतिबंधों का समय अलग-अलग स्थानों पर भिन्न था। परिणामस्वरूप एक इकाई भी कार्य/कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए तैयार थी, तो कार्य स्थल पर इसको अनुमति नहीं दी गई।

(ii) बोलीदाताओं द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया न देने के कारण अनुबंधों को अवाई करने में देरी, जिसके कारण नियोजित गतिविधियों के कार्यान्वयन में देरी हुई, जिससे वित्तीय आवंटन का कम उपयोग किया गया।”

1.7 विभाग द्वारा बजटीय संसाधनों को वापस करने के कारणों के बारे में आगे पूछे जाने पर, विभाग के प्रतिनिधि ने 22.02.2022 को विषय के संबंध में मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया:

“2020-21 के दौरान राशि वापस करने के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। यह पूछा गया कि क्या यह वास्तव में कोविड-19 के कारण या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमियों की वजह से ऐसा किया गया था। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2020-21 *जनता* और सरकार के लिए बहुत कठिन वर्ष था। इस वर्ष सरकार का राजस्व प्रभावित हुआ था। पूर्ण लॉकडाउन था और अर्थव्यवस्था का विकास नकारात्मक में *चला* गया। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय ने खर्च में कटौती के सख्त आदेश जारी किए थे। वास्तव में, मासिक सीमा लगाई गई थी। मेरी समझ से कई मंत्रालय और विभागों का बजट इससे प्रभावित हुआ। तो, मैं यह कहूँगा कि हो सकता है कि इन असाधारण परिस्थितियों के कारण ही हमारा बजट घटा दिया गया था। हमने कम किए गए बजट का 99.75 फीसदी उपयोग किया। 2021-22 में, यानी चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्ण लॉकडाउन नहीं था और गतिविधियाँ जारी हैं, भले ही कोविड की दूसरी लहर का दुनिया पर प्रभाव हुआ हो। फिर भी, यह स्थिति 2020-21 *जैसी* नहीं थी। इसलिए, हम जैसे-जैसे आगे चलेंगे तो स्थिति बेहतर होगी।”

अनुदानों की मांगों का विश्लेषण

1.8 वर्ष 2022-23 के लिए 18967.88 करोड़ रुपये का कुल बजटीय प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2022-23 के लिए डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर के कुल बजट आवंटन को दर्शाती है:

कुल आवंटन (2022-23)

(रु. करोड़ में)

राजस्व	18548.05
पूंजी	419.83
कुल	18967.88

1.9 निम्न तालिका वित्तीय वर्ष 2022-23 के समक्ष 2021-22 के लिए अनुदान मांगों (बीई) के तुलनात्मक विश्लेषण को दर्शाती है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	राजस्व (बी इ)	पूंजी (बी इ)	कुल
2021-22	8700.80	321.77	9022.57
2022-23	18548.05	419.83	18967.88

1.10 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं/परियोजनाओं का बजटीय आवंटन; केंद्र प्रायोजित योजनाएं; और वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 के लिए केंद्र (बीई) का स्थापना व्यय:

(रु. करोड़ में)

क्र . सं.	मद (दें)	2021-22		2022-23	2021-22 (संअ)की तुलना में 2022-23 में वृद्धि कमी का/%
		ब अ	सं अ	ब अ	
1.	केंद्रीय क्षेत्र की योजना/परियोजना	2456.02	2940.80	5220.86	77.53
2.	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	5688.49	14022.24	12605.12	(-) 10.10
3.	केंद्र का स्थापना व्यय	878.06	1045.66	1141.90	9.2
4.	कुल	9022.57	18008.70	18967.88	5.3

1.11 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं/परियोजनाओं में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2,940.80 करोड़ रुपये (आरई)से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 5,220.86 करोड़ रुपये (बीई)हो गया इसमें लगभग 77.53% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 14022.24 करो स्तर से वित्त वर्ष (आरई) .2022-23 में 12605.12 करोड़ रु (बीई) स्तर पर लगभग 10.10% कटौती देखी गई है। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल बजटीय आवंटन में लगभग 5.3% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 18008.70

करोड़ रुपये का आरई आवंटन किया गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बीई आवंटन जो सिर्फ ₹ 9022.57 करोड़ था इसकी तुलना में, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 18967.88 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में 110%की भारी वृद्धि दिखाई दी।

1.12 वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन में इतनी बड़ी वृद्धि की आवश्यकता के कारण पूछे जाने पर, विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया :

“नदियों की इंटर लिंकिंग’, ‘त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और विशेष/राष्ट्रीय परियोजनाएं (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी)’ और ‘कमानक्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम)’ जैसी नई योजनाओं को शामिल करना और वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुछ मौजूदा योजनाओं के बजटीय आवंटन में वृद्धि के कारण बजटीय आवंटन में वृद्धि आवश्यक हो गई। विवरण नीचे दिया गया है:

क. नदियों की इंटरलिंकिंग: नदियों की इंटर लिंकिंग (केन-बेतवा लिंक परियोजना) के लिए वर्ष 2022-23 हेतु 1400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

ख. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और विशेष/राष्ट्रीय परियोजनाएं (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम): त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और विशेष/राष्ट्रीय परियोजनाओं (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के लिए (सीएडीडब्ल्यूएम) योजना को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 4281.69 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2020-21 तक, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएमके तहत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सा नाबार्ड से दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से उठाया गया था। चालू वर्ष से, सरकार ने नाबार्ड से ऋण लेने के बजाय बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्रीय हिस्सा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इस योजना के लिए बीई 2022-23 के तहत 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग. नमामि गंगे मिशन II: नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 हेतु बजटीय आवंटन 1,450.02 करोड़ रुपये था। नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए वित्त वर्ष 2022-23 हेतु बजटीय आवंटन 2,800.00 करोड़ रुपये है। विभिन्न चल रही परियोजनाओं के लिए विभिन्न अभिकरणों से निधि की आवश्यकता के कारण बीई आवंटन में वृद्धि है, जो पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं।

घ. भूजल प्रबंधन और विनियमन: वर्ष 2022-23 के लिए भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के संबंध में आवंटन को इस तथ्य के मद्देनजर बढ़ाया गया है कि एनएक्यूआईएम के अध्ययन को वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। एनएक्यूआईएमसे संबंधित गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए प्रत्याशित बढ़ा हुआ खर्च।

ड. बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप): बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आवंटित बीई 25 करोड़ रुपये है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) चरण II के केंद्रीय घटक के संबंध में बजट अनुमान 100 करोड़ रुपये है। बाहरी रूप से वित्त पोषित यह नई योजना ड्रिप चरण II अक्टूबर 2021 में प्रभावी हो गई है। वित्त वर्ष 21-22 के बजटीय परिव्यय में पूर्वमें बंद की गई विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना ड्रिप (मार्च 2021) की भुगतान देनदारियां शामिल हैं। इसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज का भुगतान, सीएसएमआरएस और सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा ड्रिप के तहत पहले से खरीदे गए उपकरणों का भुगतान शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में, वित्तीय परिव्यय में वृद्धि नए सीपीएमयू सलाहकार के अग्रिम भुगतान के लिए प्रमुख प्रावधान के कारण है, जो वर्तमान में प्राप्ति के अग्रिम चरण में है, नए ड्रिप चरण II के तहत प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के लिए आईआईटी रुड़की को अग्रिम भुगतान, पूर्व कार्यक्रम ड्रिप के तहत पहले से प्राप्त किए गए उपकरणों के भुगतान के लिए कम प्रावधान, लेकिन कोविड महामारी के कारण उनके स्थापना और कमीशनिंग में देरी हुई। इसलिए, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए प्रस्तावित बीई आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

च. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी): बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के संबंध में, एफएमबीएपीके बाढ़ प्रबंधन घटक के तहत नई बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एफएमबीएपीके संबंध में बीई 2022-23 में 450 करोड़ आवंटन को बढ़ाया गया है।

छ. अटल भूजल योजना (अटल जल): अटल भूजल योजना (अटल जल) योजना दिनांक 01.04.2020 को आरंभ की गई थी। कोविड -19 के प्रकोप के कारण नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण प्रारंभिक दो वर्ष (2020-21 और 2021-22) प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहे। यह परिकल्पना की गई है कि यह योजना वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करेगी इसलिए 700 करोड़ रु. के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

ज. बीई 2021-22 की तुलना में बीई 2022-23 के लिए पीएमकेएसवाई के तहत नाबाई से ऋण के भुगतान में 985 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

झ. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी): वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के एवज में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के संबंध में बीई 2022-23 में आवंटन को बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ड. विदर्भ और मराठवाड़ा के जिलों और शेष महाराष्ट्र के अन्य लंबे समय से सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज हेतु, बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2021-22 में 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 में 800 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

1.13 आगे बीई स्तर पर केवल 9022.57 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आरई चरण में 8986.13 करोड़ रुपये (99.59%) की वृद्धि के कारण बताने के लिए कहे जाने पर, विभाग ने निम्नवत बताया :-

“आरई स्तर पर मुख्य वृद्धि (लगभग 8000 करोड़ रुपये) नई योजनाओं, 'नदियों की इंटरलिंकिंग', 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और विशेष/राष्ट्रीय परियोजनाओं (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी)' और 'कमान क्षेत्रविकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम)' को जोड़ने के कारण हुई है। इसके अलावा, कुछ मौजूदा योजनाओं में अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण भी आरई स्तर पर बढ़ोतरी की आवश्यकता थी। विवरण नीचे दिया गया है:

क. नदियों की इंटरलिंकिंग: भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के मूल्य स्तर पर 44605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और एक विशेष प्रयोजन वेहिकल के माध्यम से 39317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन दिया है। इसके उद्देश्य के लिए आरई 2021-22 में 4300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ख. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम: वर्ष 2020-21 तक, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सा नाबार्ड से दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से उठाया गया था। चालू वर्ष से, सरकार ने नाबार्ड से ऋण लेने के बजाय बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्रीय हिस्सा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसलिए, आरई स्तर पर 3700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ग. नमामि गंगे मिशन II: नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन 1,450.02 करोड़ रुपये था। नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित आवंटन 1,900.00 करोड़ रुपये है। आरई आवंटन में वृद्धि

विभिन्न चालू परियोजनाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों से निधि की आवश्यकता के कारण हुई है, जो पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं।

घ. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी): वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के एवज में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के संबंध में आरई चरण में आवंटन को बढ़ाकर 412 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ड. विदर्भ और मराठवाड़ा के जिलों और शेष महाराष्ट्र के अन्य पुराने सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज हेतु, आरई को, बीई 2021-22 के 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

1.14 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से समिति नोट करती है कि विभाग के अंतर्गत अधिकांश प्रमुख योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके बजटीय आवंटन का अल्प उपयोग देखा गया है। वित्त वर्ष 2021-22 की तीन तिमाहियों यानी 31.12.2021 तक, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर 18008.70 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से विभाग का कुल उपयोग केवल लगभग 35% है। इसी प्रकार विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ जैसे बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी), राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन, अटल भूजल योजना, अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन, नमामि गंगे कार्यक्रम और भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पहली तीन तिमाहियों में आरई स्तर पर उनके आवंटित बजटीय आवंटन का क्रमशः सिर्फ 35.13, 6.69, 34.04, 41.04, 49.30, 50.00 और 55.51 प्रतिशत का उपयोग देखा गया है।

1.15 वित्त वर्ष 2021-22 की प्रथम तीन तिमाहियों में विभाग के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं के बजटीय आवंटन के अल्प उपयोग के कारणों के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने निम्नवत बताया:-

“जबकि नमामि गंगे, एनआरसीपी, एसएमआई और आरआरआर, एनएचपी और महाराष्ट्र को विशेष पैकेज जैसी कई योजनाओं के तहत धन का अधिकतम उपयोग किया गया था, कुछ योजनाओं के तहत कमी आई है। पिछले दो वित्तीय वर्षों यानी 2019-20 और 2021-2022 के दौरान बजट अनुमान की अपेक्षा बजटीय निधियों के कम उपयोग के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण हैं: -

(क) कोविड-19 के संबंध में प्रतिबंध और लॉकडाउन। इस तरह के प्रतिबंधों का समय अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग था। परिणामस्वरूप एक इकाई भी कार्य/कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए तैयार है, कार्य स्थल पर इसकी अनुमति नहीं थी।

(ख) बोली लगाने वालों द्वारा खराब प्रतिक्रिया के कारण ठेके देने में देरी, जिसके कारण नियोजित गतिविधियों के कार्यान्वयन में देरी हुई, जिससे वित्तीय आवंटन का कम उपयोग हुआ।

(ग) 2020- 2021 तक, पीएमकेएसवाई एआईबीपी, सीएडीडब्ल्यूएम और तीन विशेष परियोजनाओं के लिए सीए रिलीज अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से थी और इसके लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि 2021-22 से पीएमकेएसवाई एआईबीपी, सीएडीडब्ल्यूएम और तीन विशेष परियोजनाओं के लिए बजटीय संसाधनों के माध्यम से जारी किया जाएगा। बजट अनुमान स्तर पर आवंटन की अनुपलब्धता के कारण, वित्त मंत्रालय द्वारा नवंबर 2021 में आकस्मिकता निधि से जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे इस वित्तीय वर्ष की पिछली तिमाहियों में कम राशि जारी की गई।

(घ) वर्तमान में जारी बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) केवल जारी परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है। परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों में राज्यों द्वारा निधियां जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया पर केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) और निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार एकल नोडल एजेंसी को नामित करने में राज्यों द्वारा अनुपालन में देरी के कारण जारी नहीं की जा सकी। राज्य मौजूदा कोविड स्थिति में राज्य के धन की कमी के कारण एफएमबीएपी की चल रही परियोजनाओं के संबंध में राज्य का बजट हिस्सा आवंटित नहीं कर सके। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कोविड-19 स्थिति के कारण राज्यों द्वारा अपर्याप्त बजटीय आवंटन किया गया था और कार्यों की प्रगति धीमी थी। वित्त वर्ष 2021-22 की प्रारंभिक तिमाहियों में कम खर्च का एक अन्य कारण राज्य सरकार द्वारा व्यय का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं करना है। जहां तक एफएमबीएपी के आरएमबीए घटक का संबंध है, यह द्विपक्षीय भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सहयोग बैठकों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए है। मौजूदा स्थिति के कारण द्विपक्षीय सहयोग की भौतिक बैठकें नहीं हो सकीं। इसके अलावा, जहां तक सप्तकोशी हाई डैम और सन कोसी स्टोरेज कम डायवर्सन योजना की जांच में प्रगति का संबंध है, नेपाल में स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण पिछले वर्षों के दौरान कम था और इसलिए बजटीय उपयोग के तहत भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच चर्चा के माध्यम से पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पिछले वर्षों में कम धनराशि का उपयोग किया गया है। इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केवल एफएमबीएपी के आरएमबीए घटक के तहत निधियों का उपयोग कम था। "

जल संसाधन परिदृश्य

1.16 किसी भी क्षेत्र या देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता मुख्य रूप से जल-मौसम विज्ञान और भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है। 'स्पेस इनपुट के माध्यम से बोसिन में जल की उपलब्धता पुनर्मूल्यांकन' रिपोर्ट-20 के अनुसार भारत में वर्षा के माध्यम से प्राप्त कुल जल उपलब्धता लगभग 3880 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) प्रति वर्ष है। वाष्पीकरण के पश्चात 1999.20 बीसीएम जल प्राकृतिक अपवाह के रूप में उपलब्ध होता है। भूगर्भीय और अन्य कारकों के कारण उपयोज्य जल की उपलब्धता 1126 बीसीएम प्रति वर्ष तक सीमित है जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 436 बीसीएम पुनरभरणीय भूजल शामिल है। इसमें से उपयोग की जाने वाली जल क्षमता लगभग 695 बीसीएम है जिसमें 450 बीसीएम सतही जल और 245 बीसीएम भूजल शामिल हैं। वर्ष 2025 और 2050 के लिए उच्च मांग परिदृश्य के लिए विभिन्न उपयोगों के लिए देश की कुल आवश्यकता क्रमशः 843 बीसीएम और 1,180 बीसीएम आंकी गई है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता देश की जनसंख्या पर निर्भर है और भारत के संदर्भ में देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता उत्तरोत्तर कम हो रही है। वर्ष 2001 और 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1,816 घन मीटर और 1545 घन मीटर आंकी गई थी जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण और कम हो सकती हैं। 1,700 घन मीटर से कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति माना जाता है, जबकि 1,000 घन मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को जल की अत्यधिक कमी की स्थिति माना जाता है।

1.17 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति को प्रस्तुत एक लिखित टिप्पण में बताया कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडबल्यूआरडी-1999) द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2025 और 2050 के लिए उच्च मांग परिदृश्य के लिए विभिन्न उपयोगों के लिए देश की कुल जल की आवश्यकता निम्नवत है:

क्रम संख्या	विभिन्न उपयोगों के लिए कुल जल आवश्यकता (बीसीएम में)		
	उपयोग	वर्ष 2025 (उच्च मांग परिदृश्य)	वर्ष 2050 (उच्च मांग परिदृश्य)
1	सिंचाई	611	807
2	घरेलू	62	111
3	उद्योग	67	81
4	विद्युत	33	70
5	अन्य	70	111
	कुल	843	1180

1.18 किसानों को रियायती या मुफ्त बिजली की उपलब्धता के कारण देश के कई हिस्सों में भूजल के अत्यधिक दोहन के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

" किसानों को रियायती या मुफ्त बिजली की उपलब्धता से भूजल का अंधाधुंध दोहन हो सकता है। विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसानों को उनकी मुफ्त/सब्सिडी वाली बिजली नीति की समीक्षा करने, उपयुक्त जल मूल्य निर्धारण नीति लाने और भूजल पर अधिक निर्भरता को कम करने के लिए फसल रोटेशन/विविधीकरण/अन्य पहलों की दिशा में आगे काम करने का परामर्श दिया है। "

1.19 किसानों को धान और गेहूं की खेती से कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती में स्थानांतरित करने के लिए राज्यों के सहयोग से विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नानुसार बताया:

"केंद्रीय भूमि जल बोर्ड राज्य भूजल समन्वय समितियों और जिला अधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ भूजल प्रबंधन योजनाओं को साझा करता रहा है। इन प्रबंधन योजनाओं में, जहां भी उचित हो, फसल पैटर्न में बदलाव के लिए सिफारिशें शामिल हैं।

आधारभूत स्तर पर भूजल प्रबंधन योजनाओं के प्रसार की सुविधा के लिए, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) भी आयोजित करता है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा अब तक 998 जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें लगभग 85000 लोगों ने भाग लिया।"

1.20 इसके अलावा, विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में कृषि मंत्रालय और अन्य विभागों के समन्वय और सहयोग से किसानों को कम पानी वाली फसलों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882

1.21 'भारत सुखाचार अधिनियम, 1882' और भूजल स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने निम्नवत बताया:

"भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 के अनुसार, सुखाचार एक ऐसा अधिकार है जो किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को उस हैसियत में, उस भूमि के फायदाप्रद उपभोग के लिए, किसी अन्य भूमि में या उस पर या उसके संबंध में जो उसकी अपनी नहीं है, कोई बात करने और करते रहने के लिए या किसी बात का किया जाना रोकने और रोकते रहने के लिए प्राप्त है।

लाभकारी आनंद में रास्ते का अधिकार, पानी के संचालन का अधिकार, प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार, बिना रुकावट के हवा, मवेशियों को चराने का अधिकार आदि शामिल हैं। इस प्रकार, अधिनियम केवल पानी तक ही सीमित नहीं है और पानी के संबंध में भी, इसमें सतही और भूजल दोनों आते हैं ।

उक्त अधिनियम के प्रावधान 7(जी) में कहा गया है -

“अपनी भूमि के नीचे से समस्त जल को जो परिनिश्चित सरणी में नहीं बहता है और उसकी सतह समस्त जल को जो परिनिश्चित सरणी में नहीं बहता है अपनी स्वयं की सीमाओं के अंतर्गत संग्रहीत करने और व्ययन करने का भूमि के प्रत्येक स्वामी का अधिकार ।

उपर्युक्त खंड की व्याख्या भूमि मालिक के उसके भूमि अधिकार क्षेत्र के भीतर भूजल पर अधिकार के रूप में की जाती है। यह कई बार अंधाधुंध निकासी का कारण बनता है और परिणामस्वरूप भूजल स्तर को न केवल उस भूमि में प्रभावित करता है जहां निकासी हो रही है, बल्कि आसपास की भूमि में भी, विशेष रूप से भूजल प्रवाह दिशा के नीचे की ओर भी प्रभावित करता है । इसके अतिरिक्त , भूमि जल और भूमि के स्वामित्व के अधिकार के बीच सीधा संबंध बड़ी संख्या में भूमिहीन लोगों को संसाधन में सीधे हिस्सेदारी से बाहर कर देता है। भारत सुखाचार अधिनियम, 1882 का संशोधन केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अवलोकन से बाहर है।”

नदियों को आपस में जोड़ना

1.22 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर इस परियोजना के लिए 4300 करोड़ रुपये की बड़ी राशि आवंटित करने जब वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत बीई आवंटन शून्य था, के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर 22 मार्च, 2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके उपरांत, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 08 दिसंबर 2021 को केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद के साथ 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया है। मंत्रिमंडल ने इसके कार्यान्वयन के लिए एक स्पेशल परपज वेहकिल के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की थी।

वर्ष 2021-22 में आरई स्तर पर 4300 करोड़ रुपये और वर्ष 2022-23 में 1400 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। शुरुआत में, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण प्रबंधन योजना पर ध्यान दिया जाएगा। दौधन बांध के चरण- II की वन मंजूरी लेने के लिए, वन

विभाग को एनपीवी और प्रतिपूरक वनीकरण के केंपा फंड में शीघ्र से शीघ्र एक बड़ी राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता है। इसके अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान के अंतर्गत 4300 करोड़ रुपए के प्रावधान की मांग की गई है। इस आवंटन का एक हिस्सा भूमि अधिग्रहण में भी उपयोग किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए के प्रावधान का उपयोग बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और ईएमपी के लिए किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आरई 2022-23 में और बजट मांगा जाएगा।

1.23 यह पूछे जाने पर कि इस शीर्ष के अंतर्गत विभाग द्वारा कितनी परियोजनाओं/कार्यों की परिकल्पना की गई है और उनमें से कितने को अब तक क्रियान्वित किया जा रहा है, विभाग ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में उल्लेख किया है कि दमनगंगा-पिंजल, पर-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी पांच नदी लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्र कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी राज्यों के बीच आमसहमति बन जाने के बादसहायता प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने नदियों के परस्पर संयोजन की परियोजना के तहत व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 और हिमालयी घटक के तहत 14) की पहचान की है। एनपीपी के तहत सभी लिंकों का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। 24 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और एनपीपी के तहत 8 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2021 के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है जो देश की पहली आईएलआर परियोजना है और परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है।”

1.24 नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यान्वयन में प्रमुख समस्याओं/बाधाओं/रुकावटों और सरकार का इसे दूर करने का क्या प्रस्ताव है, के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया: -

“आईएलआर लिंक परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों के बीच होने वाली आम सहमति पर निर्भर करता है। आमतौर पर, जल की अधिकता वाले राज्य अपने राज्य में पर्याप्त मात्रा से अधिक जल को जल की कमी वाले बेसिनों में यह कहते हुए कि जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, साझा करने के लिए सहमत नहीं होते हैं। नदियों के परस्पर संयोजन कार्यक्रम संबंधित राज्यों के बीच सहमति और सहमति सिद्धांत के आधार पर चलाया जा रहा है। इंटरलिंकिंग परियोजना जल बंटवारे और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी वैधानिक मंजूरी मिलने और पार्टी राज्यों के बीच समझौते होने के बाद

कार्यान्वयन चरण में पहुंच जाएगी। आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।”

नमामि गंगे

1.25 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति को भेजे एक लिखित नोट में कहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। नमामि गंगे का नाम बदलकर नमामि गंगे मिशन II कर दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय गंगा योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण के लिए घाट निर्माण कार्य शामिल हैं। नमामि गंगे मिशन II के लिए निधि दो बजट शीर्ष अर्थात (I) बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना घटक (ईएपी), (II) राष्ट्रीय गंगा योजना (एनजीपी) के गैर बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना घटक (गैर-ईएपी) के तहत आवंटित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 को दौरान, कुल 2800 करोड़ रु. की राशि उक्त घटकों के लिए बीई स्तर पर प्रदान की गई है।

1.26 नमामि गंगे मिशन II की मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“विवरण नीचे दिया गया है:

- (i) संपूर्ण गंगा बेसिन का पुनरुद्धार करने की दृष्टि से सहायक नदियों पर त्वरित हस्तक्षेप।
- (ii) नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं का सम्मिलन और नए हस्तक्षेपों का प्रारंभ।
- (iii) बेहतर स्थिरता और नियंत्रण के लिए पीपीपी विकास प्रयासों और 'एक शहर एक ऑपरेटर' मॉडल को बढ़ाना।
- (iv) सभी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और ग्रामीण क्षेत्रों में मल गाद और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) पर ध्यान केंद्रित करना और गैर-सीवर वाले छोटे और मध्यम शहरों में विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली को लागू करना।
- (v) अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा रीक्लेम, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और उत्तरदायी निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'सर्कुलर इकोनॉमी' मॉडल विकसित करना (उदाहरण: मथुरा में आईओसीएल, बिजली संयंत्रों, सिंचाई, आदि में)।
- (vi) म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का विशेष रूप से बड़े और प्राथमिकता वाले शहरों में इसके सुरक्षित प्रसंस्करण और निपटान को प्राथमिकता देना।
- (vii) कीचड़ प्रबंधन, जैविक खेती, एफएसएसएम आदि के क्षेत्रों में व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और स्टार्ट-अप को सशक्त बनाने के लिए गंगा इनोवेशन हब (जी-हब) की स्थापना करना।

(viii) सतही और भूजल की उपयोग को कम करने, अपव्यय को कम करने और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बेसिन लेवल एकीकृत शहरी जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम विकसित करना।

(ix) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मॉडल पर एक बहु-विषयक काडर विकसित करना।

1.27 अब तक नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 30841.53 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से कुल 363 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 177 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और उनका संचालन किया गया है; बाकी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। दिनांक 31 दिसंबर, 2021 की अवधि तक सेक्टर-वार मंजूर की गई एवं पूरी हो चुकी परियोजनाओं का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	शुरू की गई परियोजना	मंजूर परियोजनाओं की संख्या	पूरी हो चुकी परियोजनाएं	मंजूर लागत (करोड़ रूपए में)
1	सीवरेज अवसंरचना और मॉड्यूलर एसटीपी*	161	74	24977.82
2	घाट, शवदाहगृह एवं आरएफडी	89	64	1541.33
3	घाट सफाई**	4	0	51.63
4	नदी तल सफाई**	1	1	33.53
5	संस्थागत विकास परियोजनाएं (जीकेसी एवं औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार सहित)	24	2	1462.13
6	अनुसंधान, जनता एक पहुंच आदि	24	5	284.1
7	जैव विविधता संरक्षण	9	6	164.06
8	वृक्षारोपण	32	20	470.49
9	जैविक उपचार	13	2	235.89
10	संयुक्त पारिस्थितिकी कार्य बल और गंगा मित्र	5	3	199.29
11	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से शौचालयों का निर्माण एवं अन्य स्वच्छता संबंध कार्य#	1	0	1421.26
	कुल	363	177	30841.53

* इनमें विकेन्द्रित उपचार के लिए मॉड्यूलर एसटीपी के निर्माण के लिए 1 परियोजना शामिल है।

**क्र.सं. 3 एवं 4 में शामिल परियोजनाएं सेवा निविदा आधारित परियोजनाएं हैं।

#गंगा के किनारे गांव के साथ-साथ आईएचएचएल और एसडब्ल्यू एम के विकास हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के साथ इन परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इन सभी गांवों को अब ओडीएफ घोषित कर दिया गया है।

1.28 नदी की सफाई एक सतत प्रक्रिया है और भारत सरकार, गंगा नदी के प्रदूषण की चुनौतियों के समाधान में राज्य सरकारों के प्रयासों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2011 से गंगा की सफाई के लिए 3,988.39 एमएलडी की नई सीवेज उपचार क्षमता का निर्माण, 1035.59 एमएलडी क्षमता की पुनर्बहाली और लगभग 5277.29 कि.मी. सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए 24977.82 करोड़ रूपए की स्वीकृत लागत से 161 सीवेज अवसंरचना परियोजनाएं जिसमें 1 मॉड्यूलर एसटीपी भी शामिल है (117 गंगा की मुख्य धारा पर और 44 गंगा की सहायक नदियों पर) शुरू की गई हैं। दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 74 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिनके परिणामस्वरूप 1079.56 एमएलडी की एसटीपी क्षमता का निर्माण हुआ है और 3806.68 कि.मी. सीवेज नेटवर्क बिछाया गया है। 3944.42 एमएलडी अतिरिक्त उपचार क्षमता के लिए परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इन परियोजनाओं ने गति पकड़ ली है और इन परियोजनाओं को इनकी समय-सीमा में पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

1.29 इस योजना के तहत बीई आवंटन की तुलना में बजटीय आवंटन के लगातार कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

“राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन और उसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक
2017-18	2550.00	3023.42	1423.21
2018-19	3070.00	2370.00	2307.5
2019-20	1970.00	1553.44	1553.40
2020-21	1640.02	1300.00	1300.00
2021-22	1450.02	1900.00	950.01 [#]

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा निधियों के उपयोग में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड महामारी के कारण व्यय की गति कम थी।”

1.30 विशेष रूप से नमामि गंगे कार्यक्रम जैसी योजनाओं की निधियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में, विभाग के प्रतिनिधि ने 22.02.2022 को आयोजित विषय पर मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार कहा:

"महोदय, आपने जो चिंता व्यक्त की है, हमने उस पर ध्यान दिया है। जब परियोजना लागू की जाती है, तो प्रभावित सड़कों की बहाली, परियोजना का हिस्सा है, और यदि हम आरडीसी और अन्य एजेंसी को ऐसा करने के लिए पैसा देते हैं, जैसा कि आपने ठीक कहा

है, तो यह देखने के लिए हमारा दृष्टिकोण है कि सड़क मरम्मत का काम ठीक से किया गया है। इसलिए, हमने इस पर ध्यान दिया है और हम उस पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे।"

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन

1.31 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति को भेजे एक लिखित नोट में कहा है कि कैबिनेट सचिवालय की दिनांक 14.06.2019 की अधिसूचना के तहत जल शक्ति मंत्रालय के गठन और कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन के अनुसार इस योजना को बजट 2019-20 (नियमित) में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत नदियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। "गंगा बेसिन" के बाहर राज्य सरकार से प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्तावों को विभिन्न नदियों के साथ शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों को शुरू करने के लिए वित्त पोषित किया जाता है, और योजना के दिशा-निर्देशों, प्रदूषण की स्थिति, प्राथमिकताओं, स्वतंत्र संस्थानों द्वारा मूल्यांकन और योजना निधि की उपलब्धता के अनुरूप होने के अधीन एनआरसीपी-अन्य बेसिन के तहत लागत साझा करने के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर 250.68 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन - आवंटन और व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक
2019-20	196.00	153.01	135.86
2020-21	220.00	100.00	99.87
2021-22	100.00	232.68	79.21*

* 31 दिसंबर 2021 तक

1.32 विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनआरसीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्र) सरकारों के बीच कैपेक्स की हिस्सेदारी है और ओपेक्स को राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) सरकारों द्वारा 100% वहन किया जाता है। साथ ही 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए यानी वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक कुल परिव्यय 1252 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति वर्ष 225 करोड़ रुपये का औसत आवंटन शामिल है। वर्ष 2022-23 के लिए, इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आवंटन पर्याप्त माना जाता है। आवश्यकतानुसार आरई स्तर पर अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाएगी।

विभाग द्वारा समिति को आगे बताया गया है कि एनआरसीपी देश के 16 राज्यों में फैले 77 शहरों में 34 नदियों को कवर करता है।

1.33 इस संबंध में, इस योजना के लिए बजटीय प्रावधानों को बढ़ाने के प्रयासों के संबंध में घटनाओं के कालक्रम का संक्षेप में वर्णन करना उचित होगा। डीएफजी (2020-21) की जांच के दौरान इस योजना के तहत अल्प आवंटन के सवाल पर विभाग द्वारा बताया गया कि संशोधित योजना की स्वीकृति मिलने पर इस योजना के तहत अधिक आवंटन मांगा जाएगा।

अटल भूजल योजना

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक
2020-21	200.00	125.00	123.03
2021-22	330.00	330.00	135.46*

* 31 दिसंबर 2021 तक

1.34 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति को भेजे एक लिखित नोट में कहा है कि अटल भूजल योजना का प्रमुख उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के प्रबंधन और पहचान किए गए राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनिंदा जल की कमी वाले क्षेत्रों में मौजूदा योजनाओं के अभिसरण में सुधार करना है। यह योजना 01.04.2020 से लागू की गई है। यह योजना भाग लेने वाले राज्यों के 81 जिलों के 222 ब्लॉकों/तालुकों की 8774 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जा रही है। अटल जल का लक्ष्य मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों और पणधारकों की सक्रिय भागीदारी से विभिन्न चल रही योजनाओं में अभिसरण के माध्यम से सतत भूजल प्रबंधन का लक्ष्य है। यह सुनिश्चित करेगा कि योजना क्षेत्र में, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन को भूजल संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से खर्च किया जाए। इस योजना को सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना के सुदृढीकरण के मुख्य उद्देश्यों के साथ एक प्रयोग के रूप में डिजाइन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बीई स्तर पर योजना के तहत 700.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

1.35 इस महत्वपूर्ण योजना के तहत निधियों के निरंतर कम उपयोग के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने अपने लिखित निवेदन में निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

“कोविड-19 के प्रभाव के कारण, विभिन्न राज्यों में जमीनी स्तर की गतिविधियाँ बाधित हुईं, इसलिए, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अटल भूजल योजना के लिए कुल आवंटन को घटाकर आरई चरण में 125 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इनमें से रु. 123.03 करोड़ व्यय किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए समुदाय आश्रित जल सुरक्षा योजना तैयार करने पर फोकस था। कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने वाले

राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण इस गतिविधि में देरी हुई। परिणामस्वरूप, तृतीय पक्ष सरकारी सत्यापन एजेंसी द्वारा सत्यापन में भी देरी हुई। परिणामस्वरूप, पहली तीन तिमाहियों के दौरान कुल व्यय अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा।”.

1.36 विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दो साल के बाद, लगभग सभी राज्यों ने अपना संस्थागत ढांचा तैयार कर लिया है और योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। 2022-23 के तहत प्रस्तावित निधियों में से अधिकांश का उपयोग राज्यों को जारी किए जाने वाले प्रोत्साहनों के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 8774 ग्राम पंचायतें हैं जहाँ जल सुरक्षा योजनाएँ (डब्ल्यूएसपी) तैयार की जानी हैं। जिसमें से, 25 जनवरी, 2021 तक, 3187 (डब्ल्यूएसपी) तैयार किए गए थे, जिन्हें तृतीय पक्ष सरकारी सत्यापन एजेंसी (टीपीजीवीए) द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था और उसके आधार पर इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी। अब तक, अन्य 327 डब्ल्यूएसपी भी तैयार किए जा चुके हैं, जिससे कुल 3414 डब्ल्यूएसपी हो गए हैं। मई, 2022 तक पूरे डब्ल्यूएसपी को पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रोत्साहन राशि 7.86 लाख रुपये प्रति डब्ल्यूएसपी जारी करनी होगी। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई सभी खरीद संबंधी गतिविधियों को 22-23 में पूरा किया जाना है। इसके अलावा, चूंकि सभी राज्यों ने अब अपना संस्थागत ढांचा स्थापित कर लिया है, नए वित्तीय वर्ष 22-23 में आईएस और सीबी (संस्थागत संरचना और क्षमता निर्माण) भाग पर प्रतिबंध व्यय भी बढ़ जाएगा।

1.37 इसके अलावा, अटल भूजल योजना के दायरे के विस्तार के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के प्रतिनिधि ने 22.02.2022 को आयोजित विषय पर मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

“अटल भूजल योजना के बारे में भी एक मुद्दा उठाया गया था। इसे अब सात राज्यों में चिन्हित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इसे और अधिक क्षेत्रों में कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में हम अटल भूजल योजना की मध्यावधि समीक्षा करने जा रहे हैं और इससे हमें सीख भी मिलेगी। उसी के आधार पर सरकार इस योजना के विस्तार के बारे में विचार करेगी।”

अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण

1.38 संसद द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 को संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अधिनियमित किया। अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन को और अधिक सुचारु बनाने के लिए, दिनांक 25.07.2019 को लोकसभा में अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया गया। विधेयक पर लोक सभा द्वारा दिनांक 31.07.2019 को विचार किया गया और इसे पारित किया गया। विधेयक में एक एकल न्यायाधिकरण स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिसकी स्थायी स्थापना,

स्थायी कार्यालय स्थान और अवसंरचना होगी ताकि प्रत्येक जल विवाद के लिए एक अलग न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके जो कि एक अधिक समय लगने वाली प्रक्रिया है।

1.39 वर्तमान में देश में कार्यरत अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों की संख्या के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

“वर्तमान में, देश में पांच (05) अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं। कार्यरत इन 5 जल विवाद न्यायाधिकरणों के नाम इस प्रकार हैं:

1. रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण;
2. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (केडब्ल्यूडीटी-II);
3. वंसंधारा जल विवाद न्यायाधिकरण (10 मार्च, 2022 को समाप्त हुआ);
4. महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण; तथा
5. महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण।”

1.40 जब समिति द्वारा आगे अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों पर उनके प्रारंभ होने के बाद से अब तक 31 दिसंबर 2021 तक किए गए कुल/संचयी व्यय के बारे में पूछा गया, तो विभाग ने निम्नवत बताया:

दिनांक 31.12.2021 तक ट्रिब्यूनल पर कुल/संचयी व्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	न्यायाधिकरणों के नाम	31.12.2021 तक संचयी व्यय
1.	रावी ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण	17.55
2.	वंशंधारा जल विवाद न्यायाधिकरण*	20.02
3.	महादई जल विवाद न्यायाधिकरण	27.84
4.	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II	34.30
5.	महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण	06.60
कुल		106.31

*(10 मार्च, 2022 को समाप्त हुआ)

1.41 अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 की मुख्य विशेषताओं और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत कहा: -

“अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 में मौजूदा ट्रिब्यूनलों की जगह सभी अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के निपटान हेतु एक एकल, स्थायी न्यायाधिकरण

स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि प्रत्येक जल विवाद के लिए एक अलग न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके, जो निरपवाद रूप से एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। विधेयक 25.07.2019 को लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में 31.07.2019 को सदन द्वारा पारित कर दिया गया। इसके बाद विधेयक को राज्यसभा के पटल पर विचारार्थ रखा जाएगा।

लोकसभा में विधेयक के पारित होने के अनुसरण में, यह देखा गया है कि प्रस्तावित विधेयक के खंड-3 (आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा-4 से संबंधित) में और संशोधन की आवश्यकता है। विचाराधीन विषय का आशय है कि यदि अधिनियम के लागू होने के बाद से एक न्यायाधिकरण पहले से ही अस्तित्व में है, तो एकल न्यायाधिकरण की संबंधित पीठ ऐसे विवाद से निपटने के लिए उस चरण से आगे बढ़ेगी जिस पर इसे स्थानांतरित किया गया है। हालाँकि, यह पक्ष केवल विशेष रूप से, विधेयक की धारा -12 में रवि ब्यास वाटर्स ट्रिब्यूनल के संदर्भ में उल्लिखित किया गया है, न कि खंड 3 में सामान्य सिद्धांत के रूप में।

इस मुद्दे पर भारत के सॉलिसिटर जनरल के साथ चर्चा की गई और इसके परिणामस्वरूप इस मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विधेयक को राज्यसभा के पटल पर रखने से पहले, विधेयक के खंड -3 (आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा -4 से संबंधित) में पंक्ति 17 के अंत में 'ट्रिब्यूनल' शब्द के बाद निम्नलिखित को अंतिम पंक्ति में जोड़कर संशोधित किया जा सकता है - "और ट्रिब्यूनल ऐसे जल विवादों से निपटने के लिए उसी स्तर से आगे बढ़ेगा जिस स्तर पर इसे स्थानांतरित किया गया था।"

उपरोक्त को देखते हुए, विधेयक को पारित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

विदर्भ और मराठवाड़ा के जिलों और शेष महाराष्ट्र के अन्य लंबे समय से सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज

1.42 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति को प्रस्तुत एक लिखित नोट में कहा है कि दिनांक 18.07.2018 को सीसीईए की बैठक के दौरान अनुमोदित विशेष पैकेज 2023-24 तक, चरणों में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रवण जिलों में 83 भूतल सूक्ष्म सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और 8 वृहत / मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। दिनांक 1.4.2018 की स्थिति के अनुसार उक्त परियोजनाओं की संपूर्ण शेष लागत 13651.61 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कुल सीए वर्ष 2017-18 के दौरान होने व्यय के लिए पुनर्भुगतान सहित 3831.41 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। विशेष पैकेज के तहत परियोजनाओं की अंतिम सिंचाई क्षमता 4.06 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 0.33 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता 03/2018 तक बनाई

गई है। 2018-21 के दौरान 0.97 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बीई स्तर पर 800.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

1.43 इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों या बाधाओं के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

“सामान्यतया भूमि अधिग्रहण, अदालती मामले, पुनर्वास और पुनरुद्धार और रेलवे और राजमार्ग क्रॉसिंग ऐसी बाधाएं हैं जो परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालती हैं। सामान्यतया भूमि अधिग्रहण, अदालती मामले, पुनर्वास और पुनःस्थापन रेलवे और राजमार्ग क्रॉसिंग आदि बाधाएं हैं जो परियोजनाओं की प्रगति में बाधक घटक हैं। भूमि अधिग्रहण (एलए) के मुद्दे को हल करने और जल संवहन दक्षता बढ़ाने के लिए, भूमिगत पाइपलाइन (यूजीपीएल) के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है। जुलाई 2017 में इस मंत्रालय द्वारा पाइपड सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। परियोजनाओं में रेलवे और राजमार्ग क्रॉसिंग के मुद्दों से निपटने के लिए जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच एक नोडल अधिकारी प्रणाली स्थापित की गई है।”

1.44 इसके अलावा, विभाग ने समिति को अवगत कराया है कि वर्तमान में इस विशेष पैकेज को समान चुनौतियों का सामना कर रहे देश के अन्य हिस्सों/क्षेत्रों में विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई गणना

1.45 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति को प्रस्तुत एक लिखित नोट में कहा है कि 'लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण' (आरएमआईएस) 1987-88 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता के साथ। डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, एमओजेएस में शुरू किया गया था। 2017-18 में, इस योजना का नाम बदलकर "सिंचाई गणना" कर दिया गया और इसे केंद्र प्रायोजित अंब्रेला योजना, "पीएमकेएसवाई और अन्य योजनाओं" के तहत लाया गया। (वार्षिक रिपोर्ट, पैरा 3.8, पृष्ठ 45)। सिंचाई गणना योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए लघु सिंचाई (एमआई) क्षेत्र में एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। इस योजना के तहत प्रमुख गतिविधि लघु सिंचाई योजनाओं की गणना और सभी भूजल, सतही जल योजनाओं और जल निकायों को कवर करने वाले राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित जल निकायों की जनगणना है।

सभी भूजल, सतही जल योजनाओं और जल निकायों को शामिल करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित लघु सिंचाई योजना की गणना और जल निकायों की गणना इस योजना के तहत प्रमुख कार्यकलाप हैं। अब तक, संदर्भित वर्षों 1986-87, 1993-94, 2000-01, 2006-07 और 2013-14 में पांच लघु सिंचाई गणना (पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं) आयोजित की जा

चुकी हैं। वर्तमान में, संदर्भित वर्ष 2017-18 में जल निकायों की छठी लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की पहली गणना पूरा होने के अग्रिम चरण में हैं। नवंबर, 2021 में स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 237 करोड़ रुपये के कुल आवंटन से 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए "सिंचाई गणना" योजना को अनुमोदित किया था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत बी.ई. स्तर पर 52.78 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

1.46 इसके अलावा, 'लघु सिंचाई गणना एवं जल निकायों की गणना' योजना के क्रियान्वयन में विभाग के सामने आ रही समस्याओं/बाधाओं के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

" व्यय विभाग की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए राज्यों को धनराशि जारी करने और जारी निधियों के उपयोग की निगरानी हेतु 01.07.2021 के बाद सीएसएस के तहत निधियां जारी करने के लिए नोडल विभाग का एकल नोडल खाता (एसएनए) खोलने को अनिवार्य बनाया गया था जिसके अंतर्गत राज्यों द्वारा नई प्रक्रिया के कार्यान्वयन में विलंब के कारण राज्य सरकारों को निधि जारी करने में विलंब हुआ।"

बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)

1.47 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति को प्रस्तुत एक लिखित टिप्पण में बताया है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संचालन के तहत "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" और "नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य (आरएमबीए)" को मिलाकर वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" कर दिया गया था और इसके अलावा, इसे दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया। एफएमबीएपी योजना को 83 चालू परियोजनाओं से संबंधित स्पिलओवर कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ पूरा किए गए कार्यों के बकाया भुगतान, जिसे पहले ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान एफएमबीएपी के तहत सम्मिलित किया गया था, के लिए अनुमोदित किया गया था। इस योजना में केवल मौजूदा ग्यारहवीं/बारहवीं XI/XII योजना दिशानिर्देशों के अनुसार चल रही और पूरी की गई परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने का प्रावधान था और तब तक एफएमबीएपी योजना के एफएम घटक के तहत अब कोई भी नई परियोजना शामिल नहीं की जानी थी। इस कार्यक्रम के तहत ग्यारहवीं योजना आरंभ से संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य सरकार को अब तक, 6450.26 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गई है। इस कार्यक्रम के तहत पूरी की गई 415 परियोजनाओं ने लगभग 4.994 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की है और लगभग 52.21 मिलियन की आबादी को सुरक्षित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, बी.ई. स्तर पर इस योजना के तहत 450.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

1.48 वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों में बजट प्रावधानों के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

" जारी बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) केवल चल रही परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए निधियां जारी करने और निधियों के उपयोग की निगरानी हेतु संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग के निदेशों के अनुसार एकल नोडल एजेंसी नामित करने का अनुपालन करने में विलम्ब के कारण वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों में परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता जारी नहीं की जा सकी। मौजूदा कोविड स्थिति में राज्य में निधियों की कमी के कारण एफएमबीएपी की चल रही परियोजनाओं के संबंध में राज्य द्वारा उनके बजट का हिस्सा आवंटित नहीं किया जा सका। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कोविड-19 के कारण राज्यों द्वारा अपर्याप्त बजट आवंटन किया गया था और कार्यों की प्रगति धीमी थी। वित्त वर्ष 2021-22 की प्रारंभिक तिमाहियों में कम खर्च का एक अन्य कारण राज्य सरकार द्वारा व्यय का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं करना है। जहां तक एफएमबीएपी के आरएमबीए घटक का संबंध है, यह द्विपक्षीय भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सहयोग बैठकों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए है। कोविड की मौजूदा स्थिति के कारण द्विपक्षीय सहयोग की वास्तविक बैठकें नहीं हो सकीं। इसके अतिरिक्त, जहां तक सप्तकोसी हाई डैम और सन कोसी स्टोरेज कम डायवर्सन योजना की जांच में प्रगति का संबंध है, नेपाल में स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण पिछले वर्षों के दौरान कम था और इसलिए, बजट का कम उपयोग हुआ। भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच चर्चा के माध्यम से पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पिछले वर्षों में कम धनराशि का उपयोग किया गया है। इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केवल एफएमबीएपी के आरएमबीए घटक के तहत निधियों का कम उपयोग हुआ था। तथापि, वित्त वर्ष 2021-22 के एफएमबीएपी के एफएमपी घटक में अंतिम तिमाही में राज्यों से निधियन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और एफएमबीएपी योजना को आवंटित संपूर्ण आरई का उपयोग करने में सक्षम होंगे।"

1.49 जब बार-बार तटबंधों के टूटने की वजह से बाढ़ के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु तटबंधों की सक्षमता के मद्देनजर राष्ट्रीय तटबंधी नीति बनाने हेतु प्रस्ताव के बारे में पूछा गया, तो विभाग ने निम्नवत बताया:-

"कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्यों के कार्य क्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार संकट ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। किसी भी अन्य नागरिक संरचनाओं की तरह तटबंधों को अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित अनुरक्षण और नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है।"

राज्यों में तटबंधों के रख-रखाव और अनुरक्षण के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। आम तौर पर, राज्य सरकार अपने अनुमोदित प्रोटोकॉल के अनुसार तटबंधों की मानसून-पूर्व और मानसून पश्चात मरम्मत और रखरखाव करती है। तथापि, आमतौर पर राज्यों द्वारा आवश्यकता के अनुसार तटबंधों का रखरखाव नहीं करने के मुख्य कारण के रूप में धन की कमी का उल्लेख किया जाता है। तटबंधों के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव इस विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। "

बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)

1.50 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति को प्रस्तुत अपने लिखित टिप्पण में बताया है कि जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण प्रणाली से संस्थागत सुदृढीकरण के साथ-साथ चुने गए बांधों की सुरक्षा एवं प्रचालनात्मक प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2012 में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) की शुरुआत की। समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण केंद्रीय जल आयोग को सौंपा गया था। 99 प्रतिशत (223 बांधों में से 221) बांध पोर्टफोलियो के लिए वास्तविक पुनर्वास गतिविधियां पूरी कर ली गई हैं। शेष दो बांध परियोजनाओं में पुनर्वास का कार्य प्रगति पर था और नई योजना डीआरआईपी चरण-दो के तहत पूरा किया जाएगा। कुछ अन्य विविध कार्य सहित इन दो बांधों की स्पीलओवर गतिविधियों के अतिरिक्त, नए डीआरआईपी चरण-दो के तहत 150 करोड़ रूपए की स्पीलओवर गतिविधियां शुरू की गई हैं। नए डीआरआईपी चरण-दो के तहत विचार के लिए मंत्रालय द्वारा डीईए और विश्व बैंक को इसकी सिफारिश की गई थी ताकि पहले से किए गए खर्च व्यर्थ न हों। नई बाह्य रूप से सहायता प्राप्त योजना डीआरआईपी चरण-दो और चरण-तीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। इस योजना में दो वर्ष के ओवरलेप के साथ 6 वर्षों की अवधि के दो चरणों में कार्यान्वित किए जाने के लिए 10 वर्ष की अवधि के साथ 10211 करोड़ रु. के बजट परिव्यय में 736 बांधों के पुनर्वास का प्रावधान है। 19 राज्य और तीन केंद्रीय अभिकरण इस योजना का भाग हैं। इस योजना के चरण-दो में वित्तपोषण का प्रावधान है, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बाह्य सहायता विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेसमेंट बैंक (एआईआईबी) द्वारा समान रूप से दी जाती है। इस योजना को अक्टूबर, 2021 में विश्व बैंक द्वारा प्रभावी घोषित किया गया है। डीआरआईपी चरण-दो के तहत 5107 करोड़ रु. की परियोजना लागत में से दिसंबर, 2021 तक संचयी व्यय 76 करोड़ रु. है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, बी.ई. स्तर पर 100.00 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी).....आवंटन और व्यय

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक
2018-19	124.00	75.00	49.32
2019-20	89.37	52.00	41.61
2020-21	55.00	30.80	30.51
2021-22	25.00	25.00	13.01*

* 31 दिसंबर, 2021 तक।

1.51 जब विशेष रूप से बजट आवंटनों (बीई) की तुलना में इस योजना के तहत निधियों के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछा गया तो, विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:-

"डीआरआईपी के केंद्रीय घटक के संबंध में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बीई आवंटन 25 करोड़ रूपए है। अब तक, उपयोग की गई निधि 13.34 करोड़ रूपए है। एजेंसी-वार बीई और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रूपए में)

एजेंसी	बीई 2021-22	व्यय (31.01.2022 की स्थिति के अनुसार)
सीडब्ल्यूसी	10.66	9.86
सीएसएमआरएस	10.14	3.05
सीडब्ल्यूपीआरएस	4.2	0.43
कुल	25	13.34

प्रमुख प्रावधान सीपीएमयू परामर्शदाता के जीएसटी इनवाँइस के तिमाही भुगतान और प्रति पूर्ति से संबंधित है। सीपीएमयू परामर्शदाता के संबंध में वर्ष 2021-22 का बीई प्रावधान जून, 2021 तक परामर्श संविदा की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया था। तथापि, बाद में परामर्श संविदा को दिसंबर, 2021 तक विस्तारित किया गया था। विस्तार के कारण भुगतान देयता को पूरा करने के लिए आरई 2021-22 में उचित वित्तीय उपबंध प्रस्तावित किए गए थे।

आरई 2021-22 की तुलना में व्यय लगभग 47 प्रतिशत है। इसके अलावा, व्यय में कुछ देयताओं के भुगतान अर्थात् डीसी-डीआर प्रणाली (मुख्य और बैंक अप सर्वर का भाग), कोविड प्रतिबंधों जिसके कारण यात्रा बिल शुरू में बनाई गई योजना के अनुसार नहीं थे, पुस्तकालय भवन निर्माण आदि की ईएंडएम सेवाओं के भुगतान की स्वीकृति में विलम्ब आदि के कारण व्यय की गति कुछ थोड़ी धीमी रही।

इसके अलावा, सीएसएमआरएस के संबंध में, बीई आवंटन की तुलना में व्यय बहुत कम है। आवंटित प्रावधान के कम उपयोग का कारण, कोविड की वजह से सीएसएमआरएस के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाना है। फिर भी, चूंकि डीआरआईपी मार्च, 2021 में आधिकारिक रूप से बंद कर दिए गए हैं और डीआरआईपी-2 के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा ऋण भुगतान के लिए सहमत स्पीलओवर गतिविधियों के भाग के रूप में केवल 31 मार्च, 2021 तक सृजित भुगतान देयताओं को आवंटित बजट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। सीएसएमआरएस नियोजित व्यय को खर्च करने में सक्षम बनने के लिए 31 मार्च, 2021 से पहले अपेक्षित प्रापण आदेश नहीं दे पाया था। फिर भी, वित्तीय प्रगति पहले से खरीदे गए उपकरणों (प्रतिबद्ध देयताओं) के मामले में भी धीमी है।

सीडब्ल्यूपीआरएस के संबंध में, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला (सीडब्ल्यूपीआरएस) द्वारा हाल ही में बंद डीआरआईपी के तहत पहले से खरीदे गए उपकरण के लिए भुगतान का प्रावधान है। कोविड-19 प्रभावों के कारण, प्रदायगी, संस्थापना, जांच और शुरुआत में देरी हुई जिसमें प्रतिकूल रूप से व्यय की प्रगति प्रभावित हुई। प्रमुख योजित व्यय 2.5 करोड़ रूपए की लागत से पहले से ही खरीदे गए वेल लॉगिंग उपकरण के लिए था, जिसे कोविड प्रभावों के कारण प्रदायगी, संस्थापना और शुरुआत में विलम्ब के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। "

केंद्रीय भूजल बोर्ड

1.52 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति को प्रस्तुत लिखित टिप्पण में बताया है कि केंद्रीय भू जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) आर्थिक और पारिस्थितिक दक्षता और इक्विटी के सिद्धांतों पर आधारित खोज, मूल्यांकन, संरक्षण, वृद्धि, प्रदूषण से बचाव और संवितरण सहित भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक और सतत विकास एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों का तकनीकी प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रसार और राष्ट्रीय नीति की निगरानी तथा उसे कार्यान्वित करने के अधिदेश के साथ एक बहु विषयक वैज्ञानिक संगठन है। सीजीडब्ल्यूबी को राष्ट्रीय सर्वोच्च संगठन होने के कारण ड्रिलिंग, भूजल व्यवस्था की निगरानी, मूल्यांकन, वृद्धि, प्रबंधन और विनियमन की सहायता से वैज्ञानिक अध्ययनों, अन्वेषण को पूरा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, बीई स्तर पर 282.00 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए हैं।

1.53 सीजीडब्ल्यूबी की कुल स्टाफ संख्या (दोनों तकनीकी तथा गैर-तकनीकी समूहों) और अपने कार्यकलापों को उचित रूप से नियंत्रित करने की इसकी पर्याप्तता के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने लिखित टिप्पण में निम्नवत बताया:-

“सीजीडब्ल्यूबी की कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या (दोनों तकनीकी और गैर-तकनीकी समूह) 4017 है। 4017 स्वीकृत संख्या में से; 2717 पद भरे हुए हैं और 1300 पद रिक्त हैं। लगभग 30% पद रिक्त हैं, इसलिए, सीजीडब्ल्यूबी के स्टाफ की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है।

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अपनी कार्मिक-शक्ति में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए / उठाए जा रहे हैं:

1. सीधी भर्ती के माध्यम से 942 पदों को भरने के लिए मांग शुरू की गई है और इसे यूपीएससी/एसएससी/सीजीडब्ल्यूबी को प्रस्तुत किया गया है।
2. तरक्की संबंधी रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है/की जा रही है।
3. सीजीडब्ल्यूबी की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, युवा पेशेवरों और परामर्शदाताओं को संविदा आधार पर लगाया जाता है”।

1.54 इसके अलावा, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और इसके क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग श्रेणियों में मानव संसाधन की कमी के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:-

"वैज्ञानिक श्रेणी में स्वीकृत 882 पदों में से 545 पद भरे हुए हैं और 337 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार, इंजीनियरिंग श्रेणी में 1868 स्वीकृत पदों में से 1338 भरे हुए हैं और 530 रिक्त हैं।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, युवा पेशेवरों और परामर्शदाताओं को संविदा आधार पर लगाया जाता है, तकनीकी कर्मचारियों (वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग) को प्रशासनिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जा रहा है। "

1.55 भूजल स्तर को मापने के लिए प्रेक्षण कुओं की प्रस्तावित संख्या (बारहवीं योजना अवधि यानी वर्ष 2012-17 के अंत तक) और 31 दिसंबर 2021 को उनकी स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

"केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के पास वर्ष 2012 में लगभग 15000 प्रेक्षण कुओं का नेटवर्क था। इन-हाउस के साथ-साथ सहभागी तरीके से प्रेक्षण कुओं की संख्या 35000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। योजना के सहभागी भूजल प्रबंधन घटक के तहत वर्ष 2012-17 के दौरान गतिविधियां शुरू नहीं हो सकीं। तथापि, आंतरिक गतिविधियों के एक भाग के रूप में, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने इस अवधि के दौरान लगभग 7000 अतिरिक्त प्रेक्षण कुओं की स्थापना की। 31 दिसंबर 2021 तक केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के कुल प्रेक्षण कुओं की संख्या 22800 है। "

1.56 समिति को यह बताया गया है कि भूजल के विनियमन और विकास के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल बिल परिचालित किया है। तथापि, अब तक केवल 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल के विनियमन और विकास के लिए मॉडल बिल को अधिनियमित किया है।

“राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम)”

1.57 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति को प्रस्तुत लिखित टिप्पण में बताया है कि राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम&आर) योजना का प्रमुख घटक है। एनएक्यूयूआईएम अध्ययनों के उद्देश्यों में जलभृतों का परिसीमन और लक्षण वर्णन, भूजल प्रबंधन योजना तैयार करना, जलभृत संरक्षण पर प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं को लागू करना, जमीनी स्तर पर जलभृत प्रबंधन योजनाओं के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करना सम्मिलित हैं। प्रमुख गतिविधियों में अन्वेषणात्मक बेधन, भूभौतिकीय जांच, जल स्तर की निगरानी, जल गुणवत्ता विश्लेषण, प्रबंधन योजना तैयार करना आदि सम्मिलित हैं।

1.58 एनएक्यूयूआईएम के अंतर्गत मानचित्रण किए जाने वाले प्रारंभिक लक्ष्यों/क्षेत्र और मानचित्रित क्षेत्र और 31.12.2021 तक प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नवत बताया:-

"देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। इसमें से लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर को एनएक्यूयूआईएम अध्ययनों के तहत कवर करने के लिए चिन्हित किया गया था।

31 दिसंबर 2021 तक, 18.7 लाख वर्ग किमी (31 जनवरी 2022 तक 18.97 कवर किया गया) के क्षेत्र को कवर किया गया है और 11.25 लाख वर्ग कि.मी. के संबंध में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है और सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइट पर दिया गया है।"

वर्षा जल संचयन

1.59 देश में वर्षा जल संचयन को प्रचलित करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"माननीय प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और संचयन के महत्व के संबंध में 08.06.2019 को सभी सरपंचों को एक पत्र लिखा है और उनसे जल संरक्षण को एक जन अभियान बनाने के लिए सभी उचित उपाय करने का आह्वान किया है।

भारत सरकार ने भारत में 256 जिलों के जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल स्थितियों सहित जल की उपलब्धता को सुधारने के उद्देश्य से एक मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ

वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान (जेएसए) एक समयबद्ध अभियान शुरू किया। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय से तकनीकी अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार से अधिकारियों के दल को जल की कमी वाले जिलों में दौरा करने और उचित हस्तक्षेप को करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों के निकट सहयोग से कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22.03.2021 को देश के सभी जिलों में 'जल शक्ति अभियान - कैच द रेन' अभियान शुरू किया गया था। 'निजी व्यक्तियों, एनजीओ, पीएसयू आदि सहित विभिन्न इकाइयों द्वारा जल संरक्षण की सर्वोत्तम पद्धतियों को संकलित किया गया है और आम लोगों के लाभ के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। लोगों से इनपुट प्राप्त करने के लिए एक संवादात्मक लिंक भी सृजित की गई है, जिसे आवश्यक मूल्यांकन/वैधता के बाद लोकहित के लिए वेबसाइट पर डाला जाता है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया है।

जन जागरूकता कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष समय-समय पर जनजागरूकता कार्यक्रम (प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि) आयोजित किया जाता है।

सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकारों द्वारा व्यवहार्य स्थानों में कार्यों को दुहराने के लिए विभिन्न प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन किए हैं।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी ने देश में बोर्ड द्वारा कार्यान्वित विभिन्न भूजल वृद्धि परियोजनाओं के दौरान प्राप्त किए अनुभवों के प्रसार की कोशिश में निम्नलिखित दस्तावेजीकरण को भी सामने रखा और इसे सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइट (<http://cgwb.gov.in/Manuals-Guidelines.html>) पर भी होस्ट किया।

सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वर्ष 2020 में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जो अनुमानित लागत सहित देश के अलग-अलग क्षेत्रों की स्थितियों के लिए विभिन्न अवसंरचनाओं को इंगित करते हुए एक अति सूक्ष्म योजना है। इस मास्टर प्लान में मानसून वर्षा जल के 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण अवसंरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

उपर्युक्त के अलावा, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में वर्षा जल संचयन को प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की हैं। "

1.60 देश में वर्षा जल संचयन को प्रचलित तथा व्यावहारिक बनाने में विभाग के सामने आ रही समस्याओं के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:-

"जल के राज्य का विषय होने के कारण, सीजीडब्ल्यूबी एक सलाहकार निकाय के रूप में न कि एक कार्यान्वयन समिति के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए, देश में वर्षा जल संचयन कार्यक्रम की सफलता हेतु कृत्रिम पुनर्भरण/ वर्षा जल संचयन परियोजनाओं में राज्य एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।

सीजीडब्ल्यूबी एक बहुमुखी संगठन है जो भूजल संसाधनों के विभिन्न पहलुओं तथा प्रबंधन से संबंधित कार्य करती है और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी कार्यकलाप सीजीडब्ल्यूबी के कई कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप है। स्टाफ की कम संख्या होना विभाग के लिए बड़ी कठिनाई है। "

1.61 देश में वर्षा जल संचयन प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रचलित करने को बढ़ावा देने हेतु निर्धारित लक्ष्य और समय-सीमा से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने निम्नवत बताया:-

"एनएक्यूयूआईएम अध्ययनों और वर्षा जल संचयन के निष्कर्ष सहित भूजल के सतत प्रबंधन के संदेश को प्रसारित करने के अपने प्रयास में, सीजीडब्ल्यूबी सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2017-21 के दौरान, सीजीडब्ल्यूबी ने 348 ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य रखा था, जिसकी तुलना में 700 कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2021-23 के दौरान, सीजीडब्ल्यूबी ने 600 ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा है, और अब तक 298 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने देश में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने सहित सतत भूजल प्रबंधन के लिए जल शक्ति अभियान भूजल पुनर्भरण के लिए कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान-2020, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मैनुअल, मॉडल बिल, मॉडल बिल्डिंग बायल अखिल भारतीय प्रासंगिकता के साथ सीजीडब्ल्यूबी का दिशा निर्देश, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल हीरो के लिए प्रतियोगिता आदि जैसे कई उपाय किए हैं। तथापि, सीजीडब्ल्यूबी ने देश में वर्षा जल संचयन के प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रसार को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित नहीं की है। "

भाग दो
टिप्पणियां/सिफारिशें

बजट विश्लेषण

2.1 समिति यह नोटकर प्रसन्न है कि वित्त वर्ष (एफ वाई) 2021-22 में 9022.57 करोड़ रुपये के बजट अनुमान (बीई) के आवंटन की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 18967.88 करोड़ रुपये बजट अनुमान आवंटन में लगभग 110% की भारी वृद्धि हुई है। तथापि, वित्त वर्ष 2021-22 में 18008.70 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (आरई) आवंटन की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में समग्र बजटीय आवंटन में लगभग 5% की वृद्धि दर्शाई गई है। 18967.88 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में राजस्व अनुभाग के तहत 18548.05 करोड़ और पूंजी अनुभाग के तहत 419.83 करोड़ रूपए शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन में भारी वृद्धि है क्योंकि वर्ष 2020-21 तक, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत परियोजनाओं के लिए केंद्र की हिस्सेदारी में नाबार्ड से दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से इजाफा हुआ था; हालांकि, चालू वर्ष से, इसका वित्तपोषण नाबार्ड से ऋण लेने के बजाय बजटीय सहायता के माध्यम से इसे वित्त पोषित किया जा रहा है। इसके अलावा, 1,400 करोड़ रुपये की राशि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिए अलग से रखी गई है। इस संबंध में, समिति यह बताना चाहती कि समिति ने अपने पहले के अनुदान की मांगों (डीएफजी) संबंधी प्रतिवेदनों में हमेशा से भारी उधारी और ऋणों की सर्विसिंग के कारण विभाग की बढ़ती प्रतिबद्ध देयता के मुद्दे को उठाया है जो बजटीय आवंटन का बड़ा हिस्सा रही है जिससे विभाग की क्षमता को उसकी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के वित्तपोषण में काफी हद नुकसान हुआ है। समिति इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाने के लिए विभाग के निरंतर प्रयासों की सराहना करती है, जिसके परिणामस्वरूप बजट आवंटन में ऐसी वृद्धि हुई है।

तथापि, साथ ही, समिति चिंता के साथ यह भी पाती है कि विभाग की निरंतर प्रवृत्ति वित्त वर्ष के अंत में बजटीय आवंटन को सरेंडर करने की रही है। जबकि, वर्ष 2018-19 में, 8860/- करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में, 1467.14 करोड़ रूपए सरेंडर किए गए, इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में, 8960.39 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 1695.30 करोड़ रु. सरेंडर किए गए थे। । यहां तक कि वित्त वर्ष 2021-22 में 18008.70 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान आवंटन की तुलना में पहली तीन तिमाहियों में केवल 6327.04 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। समिति आगे यह भी पाती है कि विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं यथा बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी), राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन, अटल भूजल योजना, अनुसंधान और विकास और राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन, नमामि गंगे कार्यक्रम और भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के लिए धन का उपयोग वित्त वर्ष 2021-22 (31.12.2021 तक) में संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय आवंटन की तुलना में नगण्य रहा है। समिति यह भी पाती है कि विभाग ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निधियों के कम

उपयोग के विभिन्न कारण बताए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कोविड-19 के संबंध में प्रतिबंध और लॉकडाउन; बोलीदाताओं द्वारा खराब रिसपांस के कारण ठेके देने में विलंब, जिसके कारण नियोजित गतिविधियों के कार्यान्वयन में विलंब हुआ; राज्य सरकारों द्वारा व्यय का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत न करना; और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए राज्यों को निधियां जारी करने और निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए संशोधित प्रक्रिया पर व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार एकल नोडल एजेंसी नामित करने में राज्यों द्वारा अनुपालन में विलंब शामिल हैं। समिति वित्त वर्ष के अधिकांश भाग के लिए विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत इस पैमाने पर बजटीय आवंटन के कम उपयोग पर अपनी चिंता प्रकट करती है और यह महसूस करती है कि यह एक बार की घटना नहीं है और एक निरंतर प्रवृत्ति बन गई है जैसा कि विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को आवंटित धनराशि की बार-बार वापसी द्वारा इंगित किया गया है। अतः समिति यह मानने के लिए बाध्य है कि विभाग अपने द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में उदासीन रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इतनी बड़ी राशि का समर्पण हुआ है। समिति ऐसे तरीके की सराहना नहीं करती है जिस तरह से विभाग साल दर साल अव्ययित शेष राशि को वापस कर रहा है। समिति इस बात से आशंकित है कि विभाग द्वारा बजटीय आवंटन को सरेंडर करने की पूर्व प्रवृत्ति को देखते हुए विभाग वित्त वर्ष 2021-22 में इस बढ़े हुए आवंटन का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा। बढ़ती आबादी और तेजी से विकास कर रहे राष्ट्र की बढ़ती जल जरूरतों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संकेतों को ध्यान में रखते हुए उपयोग करने योग्य जल की उपलब्धता पर काफी दबाव पड़ता है। भारत में जल क्षेत्र के विकास और संरक्षण के लिए भारी मात्रा में कम उपयोग और बाद में निधियों की वापसी अच्छा संकेत नहीं है। अतः समिति विभाग को वित्त वर्ष 2022-23 से मासिक और त्रैमासिक व्यय योजनाओं का कड़ाई से पालन करने की सिफारिश करती है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय की गति और निधियों के प्रवाह की नियमित अंतराल पर निगरानी की जानी चाहिए ताकि निधियों के इतने बड़े समर्पण से बचा जा सके।

(सिफारिश संख्या 1)

2.2 समिति विभाग के बजटीय आवंटन के संबंध में बजटीय अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच व्यापक असमानता को देखकर निराश है। जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में बजट अनुमान 8860/- करोड़ रु. था, इसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 7612.52 करोड़ रु. कर दिया गया था, इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में, 8960.39 करोड़ रुपये रु. के बजट अनुमान को घटाकर संशोधित अनुमान स्तर पर 7262.09 करोड़ रु. कर दिया गया। इसके अलावा, समिति यह पाती है कि वित्त वर्ष 2021-22 में 9022.57 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में, वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान के स्तर पर बजटीय आवंटन 18008.70 करोड़ रुपये का हो गया जो यह दर्शाता है कि इसमें लगभग 99.59% की भारी वृद्धि हुई है। विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय आवंटन में वृद्धि के लिए योजनाओं के

तहत नई परियोजनाओं को जोड़ने नामतः 'नदियों को जोड़ना', 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और विशेष/राष्ट्रीय परियोजनाएं' (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) ' और 'कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडीडब्ल्यूएम)' और कुछ मौजूदा योजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की जरूरत को इसका कारण बताया है। फिर भी, समिति वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर विभाग के लिए बढ़े हुए आवंटन को देखकर प्रसन्न है, तथापि, इस तरह की बढ़ोतरी बजट अनुमान स्तर पर अपने अनुमानों का आकलन करने में विभाग की दूरदर्शिता और योजना में कमी को भी इंगित करती है। समिति का विचार है कि संशोधित अनुमान स्तर पर इस तरह के असंगत स्तर का बजटीय आवंटन बजट अनुमान स्तर पर प्रारंभिक बजटीय आवंटनों की अक्षुण्णता पर प्रश्नचिह्न उठती है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग बजटीय अनुशासन बनाए रखता है, उचित बजट पूर्व योजना का संचालन करता है और पूरी तरह कार्य करता है, और अपनी बजटीय अनुमान प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करता है ताकि बजटीय अनुमान स्तर पर विवेकपूर्ण और यथार्थवादी बजटीय आवंटन अनुमानित/किया जा सके जिससे संशोधित अनुमान स्तर पर बजट प्राक्कलन आवंटन में अनुपातहीन संशोधन से बचा जा सके। जहां तक वास्तविक उपयोग का संबंध है, समिति नोट करती है कि 31/12/21 की स्थिति के अनुसार, विभाग द्वारा केवल 6327.04 करोड़ रुपए ही व्यय कर सका और 11681 करोड़ रुपए व्यय किया जाना बाकी है। विभाग ने बताया है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए निर्धारित 4300 करोड़ रुपए का इस वित्त वर्ष में उपयोग किया जाना है। इसके अलावा, नमामि गंगे के अंतर्गत कई प्रस्ताव, एआईबीपीसी, सीएडीडब्ल्यूएम, एसएमआई एंड आरआरआर जारी किए जाने के लिए तैयार हैं। समिति मंत्रालय से मासिक व्यय प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और तदुपरांत इसकी गहन निगरानी करने का आग्रह करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्त वर्ष के अंत तक शेष निधि का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

(सिफारिश सं. 2)

जल संसाधन परिदृश्य

2.3 समिति नोट करती है कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता देश की जनसंख्या पर निर्भर है और देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता उत्तरोत्तर कम हो रही है। वर्ष 2001 और 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1816 घन मीटर और 1545 घन मीटर आंकलित की गई थी जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण और कम हो सकती है। 1700 क्यूबिक मीटर से कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति माना जाता है जबकि 1000 क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति माना जाता है। समिति चिंता के साथ यह भी नोट करती है कि देश में सबसे बड़ा जल की खपत करने वाला क्षेत्र कृषि है, जिसके बाद घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र (क्षेत्रों) हैं। समिति को यह बताया गया है कि विभाग ने प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम अर्थात् जल शक्ति अभियान का शुभारंभ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) का

निर्माण, राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन (एनएक्यूआईएम) का कार्यान्वयन, अटल भुजल योजना (अटल जल) आदि उठाए हैं। इन उपायों के बावजूद, समिति का विचार है कि कृषि क्षेत्र में जल की खपत को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। समिति का मानना है कि नमी संसर जैसी आधुनिक प्रोद्योगिकी के प्रयोग के साथ फसल विविधीकरण और फसल योजना से पानी के कम उपयोग के साथ अधिक उत्पादन करके प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में सुधार करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। अतः समिति सिफारिश करती है कि कृषि क्षेत्र में जल के उपयोग को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर सक्रिय कदम उठाए और काम करे। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आर्थिक सहायता प्राप्त बिजली और उर्वरक ने किसानों को जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी जल गहन फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है, समिति का यह सुविचारित मत है कि संस्थागत परिवर्तन समय की मांग है। अतः समिति विभाग से कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और संबंधित राज्यों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करती है ताकि ऊर्जा सक्षम मूल्य निर्धारण के विकल्प का पता लगाया जा सके, जो भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकें।

(सिफारिश सं.3)

नदियों को आपस में जोड़ना

2.4 समिति नोट करती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है, जिसमें केंद्रीय सहायता 39,317 करोड़ रुपये की है, और इसके कार्यान्वयन के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हिकल के गठन को भी अनुमोदित किया है। इसके अलावा, रुपये का बजटीय आवंटन। प्रारंभिक चरण में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण प्रबंधन योजना पर ध्यान देने के साथ इस कार्यक्रम के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि दमनगंगा-पिंजाल, पर-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी नामक पांच नदी लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि एक बार लाभार्थी राज्यों के बीच सहमति बन जाने के बाद, केंद्र कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगा। तथापि, समिति पाती है कि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य समस्या इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों के बीच आम सहमति की कमी है। समिति का विचार है कि नदियों को आपस में जोड़ने से न केवल अकाल और बार-बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ के प्रभावों को काफी हद तक समाप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता की समस्याओं के लिए एक बहुत ही आवश्यक व्यवहार्य समाधान भी प्रस्तुत करता है। फिर भी, समिति इस बात से भी अवगत है कि नदियों को आपस में जोड़ना एक जटिल मुद्दा है क्योंकि संबंधित राज्यों में 'जल' विषय से जुड़ी संवेदनशीलता और भावनाएं तथा नदियों की अंतर-राज्यीय प्रकृति राज्यों के

लिए परस्पर सहमत निर्णय पर पहुंचने में कठिनाई पैदा करती है। ऐसे परिदृश्य में, केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और समिति महसूस करती है कि यह उचित समय है कि केंद्र सरकार सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करे और सभी हितधारकों को विवादास्पद मुद्दों का समाधान करने में शामिल करे। इस संबंध में, समिति विभाग से उन क्षेत्रों की सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुसार अपनी रणनीतियों को फिर से डिजाइन करने का आह्वान करती है जहां विभाग नदियों को जोड़ने की परियोजना को लागू करना चाहता है। विभाग वित्त मंत्रालय के परामर्श से राज्यों को इस महत्वपूर्ण योजना को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर संसाधनों और अनुदानों के बड़े हिस्से के हस्तांतरण, कर राहत, कर अवकाश आदि जैसी विभिन्न रियायतें प्रदान करने के रूप में कुछ समाधान निकाल सकता है।

(सिफारिश सं.4)

नमामि गंगे कार्यक्रम

2.5 समिति नोट करती है कि भारत सरकार (जीओआई) ने गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को प्रभावी तरीके से कम करने, उनके संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31.12.2021 की तारीख में 30841.53 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से कुल 363 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें से 177 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और वे चल रही हैं, और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं। साथ ही, इन 363 परियोजनाओं में से 161 परियोजनाएं मलजल संबंधी आधारभूत संरचना से संबंधित हैं, और उनमें से अब तक केवल 74 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। गंगा की सफाई और उसके संरक्षण के निमित्त इस महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम की सराहना करते हुए समिति यह नोटकर निराश है कि इन परियोजनाओं की, विशेषकर मलजल संबंधी आधारभूत संरचना से जुड़ी उन परियोजनाओं की जो समिति की राय में नमामि गंगे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु और मुख्य आधार हैं, की प्रगति धीमी है। इसके मद्देनजर, समिति सिफारिश करती है कि विभाग अपने निगरानी तंत्र को सुकर बनाने और उसमें सुधार लाने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों/समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करने के लिए प्रयत्न करे जिससे कि सभी लम्बित परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी हों ताकि लागत और समय में वृद्धि की संभावना को दूर किया जा सके।

(सिफारिश सं. 5)

2.6 समिति नोट करती है कि नमामि गंगे कार्यक्रम का नाम बदलकर इसे नमामि गंगे मिशन दो कर दिया गया है जिसमें नेशनल गंगा प्लान, नेशनल रिवर कन्जर्वेशन प्लान और घाट वकर्स फॉर ब्यूटीफिकेशन ऑफ रिवर फ्रंट को शामिल किया गया है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान स्तर पर 2800 करोड़ रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है। नमामि गंगे मिशन दो की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के अलावा जो शामिल हैं वे हैं:- सहायक नदियों के मामले में त्वरित दस्तंदाजी, नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ केंद्र और राज्य

सरकारों की मौजूदा योजनाओं का अभिसरण और नई दस्तंदाजी की शुरुआत, सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) विकास प्रयासों को बढ़ाना और 'वन सिटी वन ऑपरेटर' मॉडल, सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीएस) और ग्रामीण क्षेत्रों में फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (एफएसएसएम) और बिना सीवरवाले छोटे व मझोले शहरों में विकेंद्रीकृत ट्रीटमेंट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि के अतिरिक्त रिक्लेम, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण व रिस्पॉन्सिबल मैन्यूफैक्चरिंग पर फोकस करने वाला 'सर्कुलर इकोनॉमि' मॉडल विकसित करने पर पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना। समिति पाती है कि यद्यपि इस योजना का नामकरण कर पुनः नमामि गंगे मिशन दो कर दिया गया है, फिर भी इसके पुराने नाम पर ही बजट अनुमान आवंटन की तुलना में इस योजना के तहत धन का निरंतर कम उपयोग होता रहा है। वर्ष 2017-18 में 2550/200 करोड़ रूपए के बजटीय आवंटन के मुकाबले वास्तविक व्यय केवल 1423.21 करोड़ रूपए का हुआ। इसी तरह, वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः 3070 और 1970 करोड़ रूपए के बजट अनुमान आवंटन के मुकाबले केवल 2307.50 और 1553.40 करोड़ रूपए का ही व्यय हुआ। समिति यह भी पाती है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के संदर्भ में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच व्यापक असमानता है। समिति महसूस करती है कि संशोधित अनुमान के स्तर पर बजटीय आवंटन में निरंतर असमानता इस बात का द्योतक है कि विभाग की वित्तीय योजना में कमी है। समिति पुरजोर तरीके से यह महसूस करती है कि नमामि गंगे मिशन दो को सफल बनाने के लिए उन अंतर्निहित कारकों को दूर किए जाने की जरूरत है जिनकी वजह से नमामि गंगे के पुराने नाम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अड़चनें आती हैं। इसके अलावा, समिति यह भी चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमामि गंगे कार्यक्रमों समेत विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धन का अधिकतम सीमा तक उपयोग हो और निर्धारित परिचय की बर्बादी न हो, एक सख्त निगरानी तंत्र बनाने का प्रयास करे। समिति, विभाग से बजटीय अनुशासन बनाए रखने और समुचित बजट पूर्व योजना बनाने और कार्य करने की भी सिफारिश करती है ताकि संशोधित अनुमान स्तर पर बजट आवंटन में बहुत बड़े बदलाव से बचने के लिए बजट अनुमान के चरण में विवेकपूर्ण बजटीय आवंटन का अनुमान लगाया/किया जा सके।

(सिफारिश सं. 6)

अटल भूजल योजना

2.7 सरकार द्वारा चिह्नित राज्यों यथा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चयनित जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी और चालू योजनाओं के अभिसरण में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2020 में अटल भूजल योजना शुरू की गई थी। समिति यह नोट करती है वर्ष 2020-21 में इस योजना के लिए संशोधित अनुमान चरण में आवंटित 330 करोड़ रूपए की तुलना में 17.02.2022 तक केवल 147.21 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में, इस योजना के लिए आवंटन को दोगुना से अधिक बढ़ाकर 700 करोड़ रूपए कर दिया गया है। आवंटन में की गई वृद्धि के कारणों को बताते हुए, समिति ने बताया कि दो वर्षों के पश्चात आज प्रायः सभी राज्यों में उनकी

अपनी संस्थागत संरचना है और वे इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं। जहां तक इस योजना को अन्य राज्यों में विस्तारित करने का संबंध है, यह बताया गया है कि योजना की मध्यवादी समीक्षा की जाएगी और उस आधार पर योजना के विस्तार के बारे में विचार किया जाएगा। समिति का मत है कि चूंकि अब सभी राज्यों ने अपनी संस्थागत आधारभूत संरचना बना रखी है, इसलिए विभाग को चाहिए कि वे इस योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान इसके दायर का विस्तार पैन इंडिया स्तर तक करते हुए इसे व्यापक बनाने की हर संभावना की तलाश करें जिससे कि इस देश के सभी जल संकट क्षेत्र इस महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित हो सकें। समिति को अटल भूजल योजना की मध्यावधि समीक्षा के परिणाम से भी अवगत कराया जाए।

(सिफारिश सं. 7)

अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण

2.8 समिति नोट करती है कि इस समय 5 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण; यथा कृष्णा जलविवाद न्यायाधिकरण, वंशधारा जलविवाद न्यायाधिकरण, महादयी जलविवाद न्यायाधिकरण, महानदी जलविवाद न्यायाधिकरण तथा रावी और व्यास जलअधिकरण देश में कार्यरत हैं। इन न्यायाधिकरणों पर 31.12.2021 तक कुल 106.31 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। अंतर्राज्यीय नदी जलविवाद के अधिनिर्णयन को आगे और सुचारू बनाने के लिए 25.07.2019 को लोक सभा में अंतर्राज्यीय नदी जलविवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया गया और उस पर विचार किया गया था तथा लोक सभा द्वारा 31.07.2019 को इसे पारित किया गया। स्थायी स्थापना और अवसंरचना के साथ इस विधेयक में एक ही न्यायाधिकरण के गठन की परिकल्पना की गई है ताकि प्रत्येक नदी बेसिन में जलविवाद के लिए अलग-अलग न्यायाधिकरण के गठन की आवश्यकता से बचा जा सके जोकि एक निरंतर अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। तथापि, मंत्रालय ने अब बताया है कि प्रस्तावित विधेयक के खंड-3 (आईएसआरडब्ल्यूडी एक्ट, 1956 की धारा-4 से संबंधित) में और संशोधन की आवश्यकता है और इस मुद्दे पर भारत के महाधिवक्ता के साथ चर्चा की गई और तदनन्तर जलशक्ति मंत्रालय की ओर से यह निर्णय लिया गया कि विधेयक को राज्य सभा में विचारार्थ पेश किए जाने से पहले इसके खंड-3 (आईएसआरडब्ल्यूडी एक्ट, 1956 की धारा 4 से संबंधित) में शब्द 'ट्रिब्यूनल' के पश्चात पंक्ति 17 के अंत में 'एंड द ट्रिब्यूनल शैल प्रोसीड टु डील विद सच वाटर डिसप्युट्स फ्रॉम द स्टेज ऐट व्हिच इट वाज सो ट्रांसफर्ड' जोड़कर इसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर मंत्रालय ने इस विधेयक के पिरत होने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने से इनकार किया है। समिति का सुविचारित मत है कि भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच जलविवाद के मसले का हल निकालने में विविध न्यायाधिकरणों/अधिकरणों का कोई उपयोग नहीं होगा। समिति का मानना है कि वर्ष 2019 में लोक सभा से पारित विधेयक में यथापरिकल्पित स्थायी स्थापना एवं उसकी खुद की स्थायी बुनियादी सुविधाओं से लैस एक नए न्यायाधिकरण से न केवल ढेर सारे न्यायाधिकरणों के गठन की लागत व उन पर होने वाले अन्य तरह के खर्चों में कटौती होगी, बल्कि इससे जलविवादों के अधिनिर्णयन को समयबद्ध तरीके से शीघ्र न्याय दिलाने में यह बड़ा

मददगार साबित होगा। समिति विभाग से यह आग्रह करती है कि वे 'अंतर्राज्यीय नदी जलविवाद (संशोधन) विधेयक, 2019' को राज्य सभा से शीघ्र पारित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर विभाग द्वारा इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

(सिफारिश सं. 8)

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)

2.9 समिति नोट करती है कि एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को भारत के भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक व सतत विकास एवं प्रबंधन और साथ ही उनके दोहन, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से बचाव और आर्थिक व पारिस्थितिक दक्षता एवं इक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर उनके वितरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रसार, निगरानी एवं राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। तथापि, समिति विभाग द्वारा दिए गए उत्तर से चिंता के साथ यह नोट करती है कि सीजीडब्ल्यूबी श्रमशक्ति के अभाव की गंभीर समस्या से ग्रसित हो चुका है जिससे उसके विभिन्न कार्य बाधित हो रहे हैं। बोर्ड में इस समय कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कुल 4017 में 32 फीसदी यानी लगभग 1300 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा, वैज्ञानिक श्रेणी में 882 स्वीकृत पदों में से केवल 545 पद भरे हुए हैं और लगभग 38 फीसदी (337) पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसी तरह, इंजीनियरिंग श्रेणी में 1868 स्वीकृत पदों में से 1338 पद भरे हुए हैं और 530 पद (39.61%) रिक्त हैं। समिति यह जानकर निराश है कि सीजीडब्ल्यूबी में सामान्य संवर्ग में, और विशेषकर वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग संवर्ग में मानव संसाधनों का इतना बड़ा अभाव है जो कि विभाग के ऐसे महत्वपूर्ण अंग के प्रति विभाग के उदासीन रवैये को इंगित करता है। समिति का मत है कि जनशक्ति की इतनी कमी सीजीडब्ल्यूबी के सुगम कार्यकरण के लिए अच्छी बात नहीं है। अतः समिति इस बात की सिफारिश करती है विभाग सभी रिक्तियों को, विशेषकर सीजीडब्ल्यूबी की रीढ़ माने जाने वाली अपनी वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग प्रशाखाओं में पदों को, सक्रियता से व अतिआवश्यक आधार पर अतिशीघ्र भरने के लिए तत्काल उपाय करें। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।

(सिफारिश सं. 9)

2.10 विभाग के उत्तर से समिति यह नोट करती है कि सीजीडब्ल्यूबी का वर्ष 2012 में लगभग 15200 मॉनिटरिंग वेलों का नेटवर्क था। घरेलू और साथ ही सहभागी मोड के जरिए मॉनिटरिंग वेलों को 35000 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, सीजीडब्ल्यूबी के पास केवल 22800 मॉनिटरिंग वेल ही हैं, क्योंकि वर्ष 2012-17 में इस योजना के सहभागी भूजल प्रबंधन संघटक के तहत ये गतिविधियां शुरू नहीं हो सकीं। समिति का मानना है कि वेल में जल स्तर की माप इस संसाधन की स्थिति का पता लगाने वाला सबसे आधारभूत सूचक है और यह भूजल की मात्रा व गुणवत्ता के सार्थक मूल्यांकन और

सतही जल के साथ इसकी अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, समिति विभाग से यह सिफारिश करती है कि भूजल की निगरानी करने के लिए डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डरों और टेलीमेट्री के साथ ऑब्जर्वेशन वेल्स की संख्या बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाएं। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि अब तक केवल 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ही भूजल के विनियमन व विकास के लिए मॉडल बिल का अधिनियमन किया है, समिति अपनी निराशा व्यक्त करती है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के माध्यम से भूजल सुरक्षा को बहाल करने और उसे सुनिश्चित करने में इस मॉडल बिल के फायदे और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी स्टेकहोल्डरों के लिए भूजल की उचित गुणवत्ता का दोहन नहीं किया गया है। इसलिए, समिति, विभाग से आग्रह करती है कि सभी शेष राज्यों को इस महत्वपूर्ण विधेयक को जल्द-से-जल्द अधिनियमित करने के लिए मनाने हेतु सभी समेकित प्रयास करे। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में किए गए प्रयासों/उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।

(सिफारिश संख्या 10)

भारत सुखाचार अधिनियम, 1882 में संशोधन

2.11 समिति नोट करती है कि यद्यपि भारत सरकार ने देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं और कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं, तथापि, संस्थागत ढांचे में अब भी कुछ अंतर हैं, जिनमें से एक 'भारत सुखाचार अधिनियम, 1882' है, जो भूजल नियंत्रण के लिए एक रुकावट है। यह अधिनियम भूजल पर सुखभोग अधिकारों के सृजन को प्रतिबंधित करता है और मालिक को अपनी संपत्ति के नीचे के पानी पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है, जिससे वह इसे जैसा उपयुक्त समझे उपयोग कर सके, जिसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर भूजल के उपयोग हेतु खुदाई करनी पड़ती है, जिसके कारण इसका अत्यधिक दोहन होता है। जल स्तर की बिगड़ती गुणवत्ता के साथ-साथ जल स्तर के खतरनाक स्तर तक कम होने का संज्ञान लेते हुए, समिति ने विभाग से 'भारत सुखाचार अधिनियम, 1882' में संशोधन करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के सहयोग से प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया है ताकि विधायी और संस्थागत समर्थन प्रदान करके भूजल संरक्षण तंत्र में मौजूद कमियों को आवश्यक रूप से दूर किया जा सके।

(सिफारिश संख्या 11)

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम

2.12 समिति पाती है कि राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम, भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमएंडआर) योजना का प्रमुख घटक है। एनएक्यूयूआईएम अध्ययनों के उद्देश्यों में जलभृतों का परिसीमन और लक्षण वर्णन, भूजल प्रबंधन योजना तैयार करना, जलभृत कायाकल्प पर प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं को लागू करना, जमीनी स्तर पर जलभृत प्रबंधन योजनाओं के सिद्धांतों को प्रसारित करने के लिए सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम

आयोजित करना सम्मिलित है। समिति नोट करती है कि 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार एनएक्यूयूआईएम अध्ययन के अधीन लगभग 25 लाख वर्ग किमी. के कुल चिह्नित क्षेत्र में से लगभग 18.7 लाख वर्ग किमी का क्षेत्र (31 जनवरी 2022 तक 18.97 कवर किया गया) कवर किया गया है। तथापि, समिति इस तथ्य से चिंतित है कि केवल 11.25 लाख वर्ग कि.मी. से संबंधित जलभृत मानचित्रण प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। समिति महसूस करती है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना के तहत मानचित्रण और जलभृत प्रतिवेदन तैयार करने में व्याप्त इतना बड़ा अंतर देश के जलभृत मानचित्रण की इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना की पूरी कवायद को कमजोर कर देगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए एनएक्यूयूआईएम आवश्यक है और यह भी तथ्य है कि एनएक्यूयूआईएम के परिणाम को उपयुक्त हस्तक्षेप के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है, समिति, विभाग से मानचित्रण होते ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर जलभृत प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करती है। समिति इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।

(सिफारिश संख्या 12)

सिंचाई गणना

2.13 समिति पाती है कि योजना 'लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण' (आरएमआईएस) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता के साथ डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) में वर्ष 1987-88 में शुरू की गई थी। वर्ष 2017-18 में, योजना का नाम बदलकर "सिंचाई गणना" कर दिया गया और प्रभावी आयोजना और नीति बनाने के लिए लघु सिंचाई (एमआई) क्षेत्र में एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित अंब्रेला योजना, "पीएमकेएसवाई और अन्य योजनाओं" के तहत लाया गया। देश में लघु सिंचाई कार्यों पर विस्तृत डाटा बेस योजना के तहत अब तक की गई पांच गणना के माध्यम से क्रमशः संदर्भ वर्ष 1986-87, 1993-94, 2000-01, 2006-07 और 2013-14 के आधार पर तैयार किया गया है। समिति यह देखकर प्रसन्न है कि अब 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से जल निकायों की गणना को सम्मिलित करने के लिए सिंचाई गणना का दायरा बढ़ा दिया गया है। जल निकायों की पहली जनगणना छठी लघु सिंचाई गणना के अभिसरण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है। जल निकायों की गणना में अन्य बातों के साथ-साथ उनके आकार, स्थिति, अतिक्रमणों की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, भंडारण की फाइलिंग की स्थिति आदि सहित इस विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी एकत्र करना सम्मिलित है। सिंचाई गणना में 100% केंद्रीय सहायता के साथ जल निकायों की सिंचाई गणना को सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, समिति विभाग से सिंचाई गणना के दायरे को मध्यम और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं तक विस्तारित करने की व्यवहार्यता का

पता लगाने का आग्रह करती है, क्योंकि इससे अधिकांश सिंचाई योजनाओं और उनके डेटा को एक मंच पर लाने में मदद मिलेगी, जिससे सिंचाई क्षेत्र के लिए कहीं बेहतर योजनाएँ बनाने में बहुत उपयोगी होगा, और सिंचाई संबंधी मुद्दों का और अधिक व्यापक ढांचे के अनुसार समाधान करेगा।

(सिफारिश संख्या 13)

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज

2.14 समिति नोट करती है कि वर्ष 2023-24 तक कई चरणों में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र में सूखा प्रवण जिलों में 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और 8 प्रमुख / मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 18.07.2018 को आयोजित आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक के दौरान एक विशेष पैकेज को अनुमोदित किया गया था। दिनांक 1.4.2018 की स्थिति के अनुसार, उक्त परियोजनाओं की कुल शेष लागत 13651.61 करोड़ रुपए अनुमानित है। विशेष पैकेज के तहत परियोजनाओं की अंतिम सिंचाई क्षमता 4.06 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 0.33 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता 03/2018 तक सृजित गई है। वर्ष 2018-21 के दौरान, 0.97 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, वर्ष 2022-23 के दौरान 400 करोड़ रुपए के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में संशोधित अनुमान चरण में 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, बजट अनुमान को 800 करोड़ रुपए तक सीमित किया गया है। समिति यह उम्मीद व्यक्त करती है कि पिछले रुझान को देखते हुए ऐसा लगता है कि वर्ष 2021-22 में आवंटित पूरी राशि का इस योजना के अंतर्गत उपयोग कर लिया जाएगा। विभाग ने बताया है कि भूमि अधिग्रहण, अदालती मामलों, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास और रेलवे और राजमार्ग क्रॉसिंग जैसी चुनौतियां परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डाल रही हैं, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाए उठाये जा रहे हैं। समिति, न केवल विदर्भ और मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के अन्य पुराने सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने, बल्कि इस कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए एक जीवंत तंत्र बना कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु किये जा रहे समेकित प्रयास करने के लिए के लिए बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने हेतु सरकार के प्रयासों का स्वागत करती है। विभाग ने समिति को यह बताया है कि वर्तमान में इस विशेष पैकेज को समान चुनौतियों का सामना कर रहे देश के अन्य भागों/क्षेत्रों में विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। समिति चाहती है कि विभाग अपने विचार की समीक्षा करे और देश के शेष हिस्सों में लंबे समय से सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में व्याप्त कृषि संकट को दूर करने के लिए इस तरह के पैकेज को विस्तारित करने की व्यवहार्यता की सक्रिय रूप से जांच करे।

(सिफारिश संख्या 14)

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन

2.15 समिति नोट करती है कि 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)' की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत नदियों के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जबकि केंद्र और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के बीच कैपेक्स की साझेदारी की जाती है और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों द्वारा 100% प्रचालनात्मक व्यय वहन किया जाता है। समिति यह भी नोट करती है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एनआरसीपी - अन्य बेसिन के लिए 250.68 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो कि नमामि गंगे मिशन दो परियोजना के तहत गंगा नदी के लिए निर्धारित 2800 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में एक मामूली राशि है। इस संबंध में, विभाग ने समिति को बताया है कि यदि आवश्यक हुआ तो आरई स्तर पर अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाएगी। तथापि, इस संबंध में समिति यह बताना चाहेगी कि डीएफजी (2020-21) की जांच के दौरान, इस योजना के तहत अल्प आवंटन के मुद्दे पर (वित्त वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान मात्र 220 करोड़ रुपये था), विभाग द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत संशोधित योजना का अनुमोदन प्राप्त होने पर अधिक आवंटन की मांग की जाएगी। समिति, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एनआरसीपी देश के 16 राज्यों में फैले 77 शहरों में 34 नदियों को कवर करता है, इस योजना हेतु वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केवल 250.68 करोड़ रुपये के अल्प आवंटन से संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार समिति यह मानने के लिए बाध्य है कि विभाग ने इस अतिमहत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के अपने प्रयासों में कठोर और उदासीन रवैया प्रदर्शित किया है। समिति का यह सुविचारित मत है कि देश की अन्य सभी प्रमुख नदियाँ गंगा नदी के समान ही प्रदूषित हैं, और उन्हें समान ध्यान और उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। इसलिए, समिति, विभाग से संशोधित अनुमान चरण, अनुपूरक मांग चरण में इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में वृद्धि करने हेतु सक्रिय कदम उठाने की सिफारिश करती है। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।

(सिफारिश संख्या 15)

बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)

2.16 समिति नोट करती है कि जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने सिस्टम वाइड प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत सुदृढीकरण के साथ-साथ चयनित बांधों की सुरक्षा और प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2012 में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) शुरू की थी। समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण केंद्रीय जल आयोग को सौंपा गया था। बांध पोर्टफोलियो की 99% (223 बांधों में से 221) भौतिक पुनर्वास गतिविधियां

पूरी कर ली गई हैं और शेष दो बांध परियोजनाओं में पुनर्वास का कार्य प्रगति पर था और नई योजना डीआरआईपी चरण दो के तहत पूरी की जाएगी। समिति पाती है कि इस शीर्ष के तहत वास्तविक व्यय बीई आवंटन की तुलना में कम रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में, 124/- करोड़ रुपये और 89.37 करोड़ रुपये के बीई आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय क्रमशः 49.32 करोड़ रुपये और 41.61 करोड़ रुपये था। इसी तरह, वर्ष 2020-21 में, 55/- करोड़ रुपये के बीई आवंटन की तुलना में केवल 30.51 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। विभाग ने संसाधनों के कम उपयोग के लिए कुछ देनदारियों के भुगतान में विलंब जैसे डीसी-डीआर सिस्टम (मुख्य और बैकअप सर्वर का हिस्सा), कोविड अवधि के दौरान प्रतिबंध, सीएसएमआरएस के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने, उन्हें योजित व्यय करने में समर्थ बनाने के लिए 31 मार्च, 2021 से पहले सीएसएमआरएस द्वारा अपेक्षित खरीद आदेश नहीं देने को जिम्मेदार ठहराया है। देश के बांधों के सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए डीआरआईपी कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए और व्यापक टीकाकरण अभियान के कारण कोरोनावायरस महामारी में आ रही कमी को नोट करते हुए, समिति, विभाग से अब तैयार रहने और इस महत्वपूर्ण योजना के तहत बजट प्रावधानों का पूर्ण उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह करती है।

(सिफारिश संख्या 16)

राष्ट्रीय तटबंध नीति बनाने की आवश्यकता

2.17 समिति यह समझती है कि वर्तमान में देश में नदी तटों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कोई व्यापक तटबंध नीति नहीं है। इस संबंध में, समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि विभाग ने राष्ट्रीय तटबंध नीति बनाने के संबंध में पूछे गए उनके प्रश्न का विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है। विभाग ने केवल यह बताया है कि बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, और इसलिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी परियोजनाएं बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। यह भी बताया गया कि तटबंधों के रख-रखाव और अनुरक्षण के मुद्दे से अवगत कराने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, तथापि, राज्य सरकारें उनके पास निधियों की कमी के कारण आवश्यकता के अनुसार तटबंधों का अनुरक्षण करने में विफल रहती हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि तटबंधों के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों के लिए कहर बरपाती है और अनकही मुसीबतें लेकर आती है, समिति का सुविचारित मत है कि यदि तटबंधों का समुचित अनुरक्षण किया जाए तो वे बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, समिति, विभाग से अपनी निर्धारित नीति/स्थिति की समीक्षा करने और नदी तटों की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से पालन किए जाने वाले नयाचारों, एसओपी को विनिर्दिष्ट करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय तटबंध नीति तैयार करने के लिए अर्थापाय

का पता लगाने का आग्रह करती है। समिति यह भी चाहती है कि विभाग को तटबंधों के रखरखाव के लिए जरूरतमंद राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। पड़ोसी देश से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ के संकट के कारण प्रत्येक वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बार-बार होने वाली तबाही का संज्ञान लेते हुए, समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता का पता लगाए।

(सिफारिश सं. 17)

वर्षा जल संचयन

2.18 समिति संतुष्टि के साथ यह नोट करती है कि भारत सरकार ने वर्षा जल संचयन सहित भू-जल के सतत प्रबंधन के लिए जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू करने, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना, जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान तैयार करना, विभिन्न इकाइयों द्वारा जल संरक्षण की सर्वोत्तम प्रणालियां संयोजित करना और आम जनता के लाभ के लिए उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। हालांकि, इसके साथ ही, समिति, विभाग के लिखित उत्तर से यह नोट करके निराश है कि सीजीडब्ल्यूबी ने देश में वर्षा जल संचयन को अपनाने और इसके प्रचार को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य और समय-सीमा तय नहीं की है। समिति का विचार है कि परिमाणनीय लक्ष्यों/उद्देश्यों को निर्धारित किए बिना कोई भी कार्यक्रम वांछित परिणाम हासिल नहीं कर सकता है, भले ही मंशा कितनी भी नेक हो। देश के बड़े भाग में भू-जल स्तर में तीव्र गिरावट को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि एनएक्यूआईएम कार्यक्रम की तर्ज पर विभाग को उन भौगोलिक क्षेत्रों को चिह्नित करना चाहिए जहां भू-जल स्तर को पुनः ऊपर लाने के लिए वर्षा जल संचयन प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्य करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए।

(सिफारिश सं. 18)

नई दिल्ली

15 मार्च, 2022

24 फाल्गुन, 1943 (शक)

डॉ. संजय जायसवाल

सभापति

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की मंगलवार, 22 फरवरी, 2022 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1130 बजे से 1400 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. संजय जायसवाल - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री भागीरथ चौधरी
4. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
5. डॉ. के. जयकुमार
6. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव
7. श्री निहाल चन्द
8. श्री डी.के. सुरेश

राज्य सभा

9. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर
10. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
11. श्री अरुण सिंह
12. श्री सुभाष चंद्र सिंह

सचिवालय

1. श्री एम.के. मधुसूदन - संयुक्त सचिव
2. श्री खाखाई जाऊ - निदेशक
3. श्री आर.सी. शर्मा - अपर निदेशक

साक्षी

जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

1. श्री पंकज कुमार - सचिव
2. श्रीमती देबाश्री मुखर्जी - अपर सचिव
3. श्री मनोज सेठी - जेएस एंड एफए
4. श्री संजय अवस्थी - संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी)
5. श्री अशोक सीताराम गोयल - आयुक्त (एसपीआर और सीएडी)
6. श्री अतुल जैन - आयुक्त (एफएम)
7. श्री तीरथ सिंह मेहरा - आयुक्त (बी एंड बी)
8. श्री सुख राम मीणा - एडीजी (स्टैट)
9. श्री आशीष कुमार - निदेशक (जीडब्ल्यू)

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)

10. डॉ. राकेश कुमार गुप्ता - अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)

11. श्री जी. अशोक कुमार - महानिदेशक, एनएमसीजी

12. श्री डी. पी. मथुरिया - ईडी, एनएमसीजी

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)

13. श्री सुनील कुमार - अध्यक्ष, सीजीडब्ल्यूबी

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय- संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का मैखिक साक्ष्य लेने के लिए हुई समिति की बैठक में सदस्यों और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55(1) की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और वित्त वर्ष 2022-23 की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और निधियों के आवंटन के संबंध में अपने निवेदन/प्रस्तुति देने हेतु विभाग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। तत्पश्चात, विभाग के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अनुदानों की मांगों (2020-23) के संबंध में उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

4. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रतिनिधियों की प्रस्तुति के बाद, सदस्यों ने निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा- :-

- (i) वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के बजटीय आवंटन में भारी वृद्धि के कारण;
- (ii) इस बड़े हुए आवंटन का उपयोग करने हेतु विभाग की अपेक्षित क्षमता;
- (iii) बजटीय संसाधनों के कम उपयोग के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा बजटीय आवंटन को वापस किए जाने के कारण;
- (iv) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत परिकल्पित लक्ष्यों की कम उपलब्धि;
- (v) केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और ब्रह्मपुत्र बोर्ड में अपर्याप्त जनशक्ति;
- (vi) विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों को बनाए रखने पर हुए भारी व्यय का मुद्दा;
- (vii) नमामि गंगे कार्यक्रम का नाम बदलने के कारण;
- (viii) अटल भूजल योजना के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता;
- (ix) फरक्का बैराज परियोजना का मुद्दा और बिहार राज्य में आने वाली बाढ़ पर इसका प्रभाव;
- (x) सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता;
- (xi) राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
- (xii) नदियों को आपस में जोड़ने का मुद्दा;

- (xiii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी का कार्यान्वयन।
(xiv) महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज; और
(xv) बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का कार्यान्वयन।

5. सभापति ने प्रस्तुतीकरण और सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रतिनिधियों धन्यवाद किया। उन्होंने सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को सदस्यों द्वारा उठाए गए उन प्रश्नों के लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनके तत्काल उत्तर नहीं दिए जा सके और जिनको विस्तृत सांख्यिकीय उत्तरों की सचिवालय को यथाशीघ्र आवश्यकता होती है।

(तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

6. समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की गुरुवार, 15 मार्च, 2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1430 बजे से 1500 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. संजय जायसवाल

- सभापति

लोक सभा

2. श्री भागीरथ चौधरी
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. डॉ. के. जयकुमार
5. श्री धनुष एम. कुमार
6. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव
7. श्री निहाल चन्द चौहान
8. श्री हंसमुखभाई एस. पटेल
9. श्री संजय काका पाटील
10. श्री पी. रविन्द्रनाथ
11. कुमारी अगाथा के. संगमा
12. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी

राज्य सभा

13. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर
14. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
15. श्री प्रदीप टम्टा

सचिवालय

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. श्री एम् के मधुसूदन | - संयुक्त सचिव |
| 2. श्री खखाड़ जाऊ | - निदेशक |
| 3. श्री आर. सी. शर्मा | - अपर निदेशक |

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, समिति ने (एक) जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) के अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; और (दो) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचारार्थ चर्चा शुरू की। विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने अपनी ओर से इन प्रतिवेदनों को चालू बजट सत्र में संसद के दोनों ही सदनों में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।